THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1991.

(to amend he Tenth Schedule)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

The question was put and the motion was adopted.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

THE ELECTROPATHY SYSTEM OF MEDICINE (RECOGNITION) BILL, 1991.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने और उनसे सम्बन्धित मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

The question was put and the motion was adopted.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1990 (insertion of new article 16A)—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Shri Surender Singh Thakur to continue.

श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर (मध्य प्रदेश) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय। मैं श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया जी द्वारा प्रस्तुत काम के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाले बिल पर पूर्व शुक्रवार को अपना भाषण कर रहा था और मैं निवेदन कर रहा था कि देश के करोड़ों नौजवान जो बेरोजगार हैं इन दोनों सम्मानित सदनों के द्वारा जरूर कोई ऐसा कानून बने जिसके माध्यम से उनको उस बेरोजगारी की हालत से निकाला जा सके और इस देश में उनका उपयोग किया जा सके।

तकरीबन पांच करोड़ नौजवान, जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उनके अनुसार इस देश में बेरोजगार हैं। उन नौजवानों की कोई गिनती नहीं हो सकी है, जो अशिक्षित हैं और ग्रामीण अंचल में निवास करते हैं। अगर उनको भी इस गिनती में गिना जाए, तकरीबन दस करोड़ का आंकड़ा बनेगा, जोकि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है।

आदरणीय महोदय, मैं मानता हूं कि काम के अधिकार को संविधान के मूलभूत अधिकारों में शामिल करने की बात जब हम करते हैं, तो यह कोई आसान काम नहीं है। इस काम को, इस नियम को बनाने, इसको पारित करने और इसको लागू करने के लिए एक बहुत ज्यादा, बहुत मजबूत इच्छाशक्ति की आवश्यकता है क्योंकि भारत जैसा विशाल देश जिसकी जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे देश में जब इस प्रकार का कोई कानून संसद के माध्यम से पास करवाने की बात हम करते हैं, तो निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण बात होती है।

महोदय, इस बेरोजगारी के कारण जहां एक ओर देश में गरीबी बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर देश में असामाजिक तत्वों की संख्या में बहुत जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुई है। जब असामाजिक तत्वों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल की जाती है, तो सब से पहले यह बात आती है कि यह नौजवान, यह व्यक्ति उचित रोजगार के अभाव में भटक रहा था और कुछ ऐसे तत्वों के हाथ में आ गया जो तत्व असामाजिक तत्व कहलाते हैं और उनके चंगुल में फंस कर उसने भी वही सब शुरू कर दिया, जिसकी उससे अपेक्षा नहीं थी। हमें अगर इन नौजवानों को असामाजिक तत्वों में फंसने से बचाना है, तो आवश्यक होगा कि हम उनके लिए उचित रोजगार की व्यवस्था करें।

[श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर]

बहुत सारी योजनायें बनती हैं, लागू भी होती हैं, लेकिन कोई भी योजना इस प्रकार की कारगर योजना नहीं बन पाई, जिसके माध्यम से हम कह सकें कि हमने शतप्रतिशत रोजगार ऐसे बेरोजगार भाइयों को उपलब्ध करवा दिया है। बेरोजगार साथियों की संख्या बढ़ती जा रही है, रोजगार की संख्या घटती जा रही है। इसके कारण क्या हैं? जो मेरी समझ में आते हैं, एक तो उद्योगों को आटोमाइज़ेशन और जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि यह दो खास कारण इस बड़ी समस्या के पीछे हैं।

मैं मानता हूं कि इस देश में औद्योगिकीकरण की आवश्यकता थी। पं० जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में औद्योगिक नीतियां बनी थी और उनके तहत आटोमाइज़ेशन को भी बिना हीला-हवाले के स्वीकार किया गया था, लेकिन आज यही आटोमाइज़ेशन हमारे लिए एक समस्या के रूप में सामने खड़ा है। आज की आवश्यकता है कि हम इस पर विचार करें और इसके आल्टरनेटिव के रूप में कुछ न कुछ ऐसे कदम उठाये जाएं, जिससे कि जो बेरोजगारी आटोमाइज़ेशन के कारण बढ़ी है, उसको समाप्त किया जा सके आदरणीय महोदय, यह जो देश के करोड़ों बेरोजगार नौजवान हैं, यह एक ऐसी इंडस्ट्री है, जिसमें हमको इनपुट तो देना ही होता है। किसी भी हमारे भारत के भाई या बहन को हम भूखा नहीं रख सकते, बिना कपड़े के नहीं रख सकते, बिना शैल्टर के नहीं रख सकते हैं। उनके लिए घर चाहिए, रोटी चाहिए और कपड़ा चाहिए। लेकिन वह इनपुट के बाद यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस पूरी शक्ति के द्वारा कोई आउटपुट प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हम उसको कहीं ऐसे काम में लगा नहीं पा रहे हैं जिस काम में लग कर वह देश की समृद्धि में कुछ वृद्धि कर सके। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि हम इस शक्ति को अगर इस प्रकार से खाली छोड़ देंगे या मैं यूं कहूं कि अगर इस इंडस्ट्री को हम इसी प्रकार चलने देंगे जिसमें हम लगातार इनपुट देते जा रहे हैं, आउटपुट कुछ हमें उससे मिल नहीं रहा है तो हमारे देश को लगातार एक बड़ा घाटा होता चला जाएगा। जहां एक ओर मानवीय दृष्टि से इस बेरोजगारी की समस्या को देखने की आवश्यकता है वहीं दूसरी ओर आर्थिक दृष्टि से भी हमको इस समस्या के ऊपर गहन चिंतन करना चाहिए, तभी हम इसका सही मायनों में कोई उचित हल निकाल सकते हैं हमने पश्चिम से आटोमाइज़ेशन तो सीखा, लेकिन वहां जिस प्रकार से बेरोजगारी की, उनके कार्यक्रमों की चिंता की जाती है उनके लिए प्रोग्रामज़ दिए जाते हैं, उनके लिए भत्ते दिए जाते हैं उस पर हमने कभी गौर करने की कोशिश नहीं की है। उस पर गौर करने की आवश्यकता है। इस बेरोजगारी की समस्या से जूझते हुए इस देश के नौजवान साथियों को आज विभिन्न प्रकार की ठगियों का सामना करना पड़ता है। मैंने सुना है और हमारे प्रदेश में हुआ है, एक षडयंत्रकारी ने एक झूठा विज्ञापन निकाल कर नौजवानों को रोजगार देने का झांसा देकर उनसे लाखों-करोड़ो रुपये एंठ लिए और उसके बाद वह एजेंसी, रोजगार, दिलाने वाली जो सो-काल्ड एजेंसी थी, उसका मुखिया सारा करोड़ो रुपया लेकर चंपत हो गया और वह सारे बेरोज़गार नौजवान जो वैसे ही परेशान थे अपनी आर्थिक स्थिति के कारण, और परेशानी की हालत में पहुंचा दिए गए। यह बहुत दुख की बात है, एक प्रश्न हमारे सामने है और एक चिंता की बात है। महोदय मेरा दुख उस समय और बढ़ जाता है जब इस प्रकार की ठगियां हमारे सम्माननीय राजनीतिक दलो के द्वारा उन बेरोजगार नौजवानो की होती हैं। पिछले लोक सभा के चुनाव में इससे पहले जो हुआ था, उसमें जो संयुक्त दल बने थे, उन्होंने काम के अधिकार को संविधान में शामिल करने के माध्यम से बेरोजगारी को पूर्णतः समाप्त करने का वायदा इस देश के नौजवानो से किया था। लेकिन मुझे अफसोस होता है इस बात को कहने में, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस चुनाव के बाद बनी और वह आज भी कायम

है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के कोने-कोने में चिल्ला-चिल्ला कर कहा था कि हम हर हाथ को काम देंगे। हर हाथ को काम कैसे देंगे, काम के अधिकार को संविधान में शामिल करके, लेकिन दुर्भाग्य और दुःख होता है मुझे यह कहते हुए कि वहीं पार्टी की सरकार ने जो कांग्रेस की सरकार ने पूर्व में बेरोजगारी भत्ता मध्य प्रदेश के नौजवानों को देना शुरू किया था उसको भी बंद कर दिया। न तो दिल्ली की सरकार जो जनता दल की सरकार ने कोई पहल की, भाषण होते रहे, गोष्ठियां होती रहीं, कमेटियां बनती रहीं, लेकिन कोई कदम उस दिशा में उस तत्कालीन सरकार के द्वारा नहीं उठाया गया। यह बहुत दुख की बात है। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में वायदा किया है कि एक करोड़ रोजगार हम प्रति वर्ष पैदा करेंगे और सदी के अंत तक दस करोड़ रोजगार देने का वायदा कांग्रेस ने किया है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी इस बात को उल्लिखित ढंग से प्रस्तुत किया गया है और जो चुनाव घोषणा-पत्र था उसमें जो वायदा किया गया था उस पर कार्यक्रम बनाकर चलने का प्रयास प्रारम्भ कर दिया गया है। हमारे नेता आदरणीय राजीव जी ने इस बेरोजगारी की समस्या को समूल रूप से नष्ट करने के लिए प्रोडक्टिव एम्प्लायमेंट की बात की थी। इनके जैसे नहीं कि काम के अधिकार को संविधान में सम्मिलित कर के समाप्त कर देंगे। राजीव जी ने एक बहुत अच्छी दिशा इस समस्या की समाप्ति के लिए दी थी और वह दिशा थी कि हम उत्पादक रोजगार के द्वारा इस समस्या को समाप्त कर देंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Please come to the conclusion.

श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर : मान्यवर, मैं 5 मिनिट में कनक्लूड कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (डा. नगेन सैकिया) : 5 मिनिट में समाप्त कीजिए, काफी स्पीकर्स हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर : मान्यवर, इस समस्या की समाप्ति के लिए मैं निश्चित रूप से यह मानता हूं कि हमें अपने विकास कार्यक्रम और आर्थिक नीतियों में कुछ खास परिवर्तनों की आवश्यकता है क्योंकि जब तक हम यह नहीं करेंगे, यह समस्या समाप्त नहीं होगी। अगर हमने उनको सुधार के रोजगार देने की बात की, जोकि अनप्रोडक्टिव रोजगार होगा, अन-उत्पादक रोजगार होगा, तो एक एस्टीमेट के अनुसार करीब 13 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की आवश्यकता होगी जोकि एक असंभव बात होगी आज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि हम जहां काम के अधिकार को संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करें वहीं ऐसी योजनाओं का प्रारूप तैयार करें, ऐसी योजनायें बनायें जिनके माध्यम से उत्पादक रोजगार को हम अपने बेरोजगार साथियों को प्रदान कर सकें।

मान्यवर, संविधान निर्माताओं ने भी यह इच्छा व्यक्त की थी और आने वाली सरकारों से अपेक्षा की थी कि अगर वह कुछ करना चाहें तो उसके लिए संविधान के रूप में सुरक्षा प्रदान की थी। मान्यवर, आर्टिकल 41, 39(ए) और 43 इन सभी में यह बात कही गयी है। उन हमारे महान संविधान निर्माताओं ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उस समय यह बात कही थी कि काम का अधिकार देना आवश्यक होगा क्योंकि हमारी आजादी तभी सच्ची आजादी मानी जाएगी जब आर्थिक आजादी भी उसके साथ जुड़ जायें।

मान्यवर, हम अभी तक सिर्फ काम के अधिकार की बात कर रहे हैं जबकि हमें आज बात करनी चाहिए थी काम की वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग आवर्स और कम दाम और ज्यादा काम की। यह कम दाम और ज्यादा काम की जो एक बहुत बड़ी समस्या है, हम उनके बारे में चर्चा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या लोगों को रोजगार प्रदान करने की है।

[श्री सुरेन्द्रसिंह ठाकुर]

मान्यवर, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और समर्थन करते हुए मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि हम इस बिल को पास करें। इस समय हमारे प्रधान मंत्री ने भी कंसेन्सस से चलने की इच्छा व्यक्त की है और मैं मानता हूं कि चूंकि हमारे आदरणीय विपक्ष के भाइयों ने भी पहले से ही जनता और नौजवानों से वायदा किया है, उनको भी इसमें उज्र नहीं होगा अगर हमारी सरकार आदरणीय श्री एस०एस० अहलुवालिया जी द्वारा प्रस्तुत काम के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाले बिल को यहां पारित करे और (समय की घंटी) उसके माध्यम से इस देश के बेरोजगार भाई और बहनों की जो कम-से-कम आवश्यकता जीवन यापन की है, उसकी पूर्ति के लिए कदम उठाएं। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (डा० नगेन सैकिया) : श्री मौलाना ओबैदुल्ला खान अज्मी, श्री चौधरी हरि सिंह, श्रीमती वीणा वर्मा, श्री ब्योमो लोथा, श्री नरेश सी० पुगलिया, श्रीमती सत्या बहिन।

(ऊपर उल्लिखित माननीय सदस्य सदन में अनुपस्थित थे)

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पालिसी में काम के अधिकार के बारे में कहा गया है। आर्टिकल-41 में हम देखते हैं –

> "The State shall, within the limits of its economic capacity and development. make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want."

इसी के साथ जब मैं आर्टिकल 39 (ए) और आर्टिकल 42 को देखता हूं तो पाता हूं कि हमारे देश के संविधान को बनाने वालों ने हमारे देश की सरकार और देश को चलाने वाले लोगों को यह अधिकार दिया था, उनके ऊपर यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि हमारे मुल्क के जो करोड़ों नौजवान हैं, उनको काम का अधिकार मिले, उनके लिए काम का बंदोबस्त हो।

महोदय, आजादी के 44 साल बाद जब हम हमारे मान्यवर साथी एस०एम० अहलुवालिया के इस संविधान संशोधन विधेयक पर बहस कर रहे हैं तो हमें अफसोस है यह बात कहते हुए कि हमारे देश को चलाने वाले लोग, जिनको यह जिम्मेदारी दी गई थी, उस जिम्मेदारी को वे नहीं निभा पाए और एक के बाद एक पंचवर्षीय योजना, जब यह कहा गया कि योजना के अंत तक हमारे देश के नौजवानों को काम मिलेगा, लेकिन हमने देखा कि योजना व्यर्थ हुई, नाकामयाब हुई और बेरोजगारी बढ़ती ही गई। यही वजह है कि इस देश के तमाम युवा संगठन, हम वर्षों से यह मांग करते आए हैं कि अब यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर न सौंपी जाए बल्कि बॉल जो सरकार की कोर्ट में थी वह बॉल जनता अपनी कोर्ट में लाना चाहती है और यही वजह है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पालिसीज से उठाकर हम इसे फंडामेंटल राइट के चेप्टर में लाना चाहते हैं ताकि यह देश की जनता को बुनियादी अधिकार की हैसियत से, हक की हैसियत से तसलीम किया जाए।

चूंकि हमारे देश के संविधान में 40 साल, 44 साल देखे हैं कि सरकार के पास निर्देश रहने के बावजूद भी वह उसको लागू नहीं करती है तो अब जनता यह चाहती है खासकर के युवा वर्ग, कि उनको यह अधिकार उनके हाथ में मिले अधिकार के रूप में और यह हमने 1989 के चुनाव में देखा, जबकि पहले से, वर्षों से यह बात चली आ रही है। आजादी के बाद संविधान बनाने के लिए कंस्टीटयूशन असेम्बली में बहस चली, उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता, या वह तमाम दस्तावेज मौजूद हैं कि कौन वे लोग थे जो इनको अधिकार की हैसियत से चाहते थे और कौन वे लोग थे जो इसको अधिकार की हैसियत से नहीं देना चाहते थे।

महोदय, वर्ष 1977 की 27 जुलाई, मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूं कि आज 26 जुलाई है, आज से ठीक 14 साल पहले लोकसभा में हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद श्री ज्योतिर्मय बसु ने यह मांग की थी. मैं डिबेट में कोर्ट करना चाहता हूं, उन्होंने कहा था—

"That the right to work be enshrined in the Constitution as a fundamental right and at the same time making a provision for giving sustenance allowance for unemployed persons."

अगर काम नहीं दे सकती है सरकार, तो उनको एलाउन्स दे, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ग्राफ स्टेट पालिसी में लिखा है । वर्ष 1988 में हमारे एक और युवा साथी थम्पन थामस को प्राइवेट बिल आई फंडामेंटल राइट की हैसियत से काम के अधिकार को मान्यता देने की मांग पर तो, अभी भी वह हमारे मंत्री बने हैं उस समय भी मंत्री थे ला एण्ड जस्टिस के श्रीमन, एच०आर०भारद्वाज, उन्होंने जो बात कही थी लोक सभा में, मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं, इससे नजरिया साफ हो जाता है, उनका यह कहना था कि—

"It will weaken the weaker sections more if we give them just Rs. 100/- and ask them to do nothing. They sit idle at home. Firstly, Rs. 100/- will be of no use to them for sustaining themselves, to get food, clothing and shelter. And that would further weaken the desire to achieve self-sufficiency and self-reliance."

3.00 P. M.

इसलिये वह इसके समर्थन में नहीं हैं । 1988 में जब यह बात सदन के अन्दर कही जा रही थी उस समय देश के नौजवान, युवा संगठन और हम यह मांग कर रहे थे कि फन्डामेंटल राइट की हैसियत से काम के अधिकार को मान्यता दी जाये और 1989 के चुनाव में हमने यह देखा कि यह मांग काफी आगे बढ़ी । तब देश के करीब-करीब तमाम राजनीतिक दलों ने इस बात को माना कि हां, राइट टू वर्क को संविधान में मान्यता देनी चाहिये । 1989 में जब देश में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी तो हमारे देश के युवा वर्ग के अंदर कुछ आशावाद पैदा हुआ कि चलो, अब कुछ होने जा रहा है । लेकिन अफसोस यह है कि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने भी अपने 11 महीने के शासनकाल में राइट टू वर्क को कंस्टीट्यूशन में अमेंड करने के बारे में बहुत ज्यादा कुछ ठोस कदम नहीं उठाये, मैं यह बात कहता हूं । हां, प्लानिंग कमीशन को यह डायरेक्शन दी गयी, यह डायरेक्टिव दी गयी कि जो आठवीं पंचशाला योजना है उसको बनाते समय प्लान का जो मेन थ्रस्ट होगा वह एंप्लोयमेंट ओरिएंटेड हो जाता है, । आज हम यह देखते हैं, जब सरकार बदल गयी तो वह एक एप्रोच जो आठवीं पंचवर्षीय योजना की थी, जिसका पहला मकसद हमारे देश में पंचशाला योजना बनाने के लिये, साथ-साथ योजना की व्यवस्था के बाद हम यह देखें कि पहली बार एक सरकार यह कहती है कि हमारी योजना कितने करोड़ रुपये की होगी । इससे ज्यादा अहमियत उसमें यह है कि कितने लोगों को नौकरी होगी, काम होगा, इस को देखना है सरकार बदलने के साथ खैर, वह एप्रोच खत्म हो गयी ।

अभी हमारी नयी सरकार नयी दिशा की ओर जा रही है । मैं धन्यवाद करता हूं अहलुवालिया जी को और खासकर इस अमेंडमेंट के ऊपर जो लम्बी बहस कई महीनों से चल रही है । ऐसे समय पर यह बहस

[श्री मोहम्मद सलीम]

चल रही है जब साफ-साथ यह जाहिर है कि हमारे देश के संविधान में देश चलाने वाले लोग राईट टू वर्क को इनकार्पोरेट करना चाहते थे, उस वक्त यह बिल इंटरोडयूज किया गया और उसके बाद दूसरी सरकार आयी जो मायनोरिटी गवर्नमेंट थी, अहलुवालिया जी की पार्टी के समर्थन में बनी हुई सरकार थी, यहां खड़े होकर के देश के प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर ने उस समय यह कहा था कि यह सब बकवास है, राईट टू वर्क हो नहीं सकता और हमने यह देखा था कि हमारे कुछ साथी जो सरकार का समर्थन कर रहे थे, अहलुवालिया जी की पार्टी के थे, यहां टेबिल थपथपायी थी कि हां, चलो यह बकवास है और यह नहीं होगा, अच्छी बात है। अब तो अहलुवालिया जी की पार्टी की सरकार बनी है और यह बहस चलती जा रही है। लेकिन हम देखते हैं कि बहस का जो मोड़ है वह किस तरह से मुड़ता जा रहा है, एक-एक समय में आ करके।

आज जो नयी इण्डस्ट्रियल पौलिसी लायी गयी, जो बजट पेश किया गया, आई०एम० एफ० और वर्ल्ड बैंक का जो कर्ज लिया गया, आज सुबह चह्वाण जी कह रहे थे कि यह जो वामपंथी हैं हर मामले पर आई०एम०एफ० देखते हैं, लेकिन यह तो बात सच है कि हमारे देश की जो इंडस्ट्री हैं चाहे वह पब्लिक सैक्टर हो, चाहे वह प्राईवेट सैक्टर हो वह कितना एम्प्लोयमेंट जेनिरेट करेगी, इसकी दशा हम ठीक करते हैं इण्डस्ट्रियल पौलिसी के जरिये और इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर आई०एम०एफ० और वर्ल्ड बैंक की डिक्टेशन पर हो तो आई०एम०एफ० और वर्ल्ड बैंक को देखना पड़ेगा। अभी जिस तरह से राष्ट्रीय उद्योग का निजिकरण किया जा रहा है और जिसके लिये अभी भी हमारे कुछ सदस्य यहां टेबिलें थप-थपा रहे हैं तो उमसे एम्प्लोयमेंट जेनिरेट का जो मामला है वह घटता चला जायेगा। इस बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मान्यवर, अभी पहले ह ारे एक सदस्य कह रहे थे और यह आर्ग्युमेंट तथा यह तर्क बड़े जोश के साथ दिया जाता है, पिछले वर्ष जब यह चल रहा था तो हमारे एक और सदस्य प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर जी भी यह कह रह थे कि पौपुलेशन का जो यह मामला है एम्प्लोयमेंट के साथ उसको जोड़ा जाता है। यह थ्योरी है और इसको जबर्दस्त तरीके से जो हुकमरान तबका है इस थ्योरी को कहती जाती है कि क्या करेंगे, जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो नौकरी कैसे मिलेगी ? मैं यह मानता हूं कि हमारे देश के लिये जनसंख्या एक समस्या है और इसको सही मायने में नियंत्रण में लाने के लिये कोशिश करनी चाहिये। लेकिन बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, आज 12 करोड़ बेरोजगार हैं, इसलिये नहीं कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसको तो सही मायनों में इस्तेमाल करना चाहिये। हमारे देश में आज अगर ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को जोड़ा जाय, रजिस्टर्ड जो बेरोजकार हैं उसके साथ तो 12 करोड़ बेरोजगार हैं 24 करोड़ हाथ हैं, जिन हाथों को अगर हम सही मायनों में काम देते हैं, उनका इस्तेमाल करने की प्लानिंग करते हैं तो आज जिस मार्डनाइजेशन और नई टेक्नोलोजी की बात की जा रही है, उन तमाम नई मशीनों, कंप्यूटरों और सुपर कंप्यूटरों की तुलना में हमारे देश के 12 करोड़ नौजवानों के 24 करोड़ हाथ ज्यादा ताकतवर हैं। हम उनकी मदद से कोसी नदी पर बांध बनाकर बाढ़ को रोक सकते हैं। हम जरूरत पड़ने पर उनकी मदद से

बंगाल की खाड़ी से पानी लाकर राजस्थान में हरियाली ला सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हम हिमालय की चोटी से बर्फ को पिघलाकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की प्यासी जनता को पानी पिला सकते हैं। लेकिन जो लोग प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, सरकार चलाते हैं, वे कभी हमारे इन नौजवानों की इस शक्ति के बारे में नहीं सोचते हैं। वे चुनाव से पहले जनता के पास जाकर कुछ और कहते हैं और चुनाव के बाद यहां आकर कुछ और करते हैं।

महोदय, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी देना नहीं है। सिर्फ सरकारी नौकरी देकर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि उस नौजवान को सही मायनों में कुछ गेनफुल इम्प्लायमेंट दिया जाय जिससे वह अपनी परवरिश कर सके, अपने परिवार की परवरिश कर सके। इस दिशा में कुछ कदम उठाए जा सकते हैं लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि अक्सर यह कहा जाता है कि पापुलेशन बढ़ रही है इसलिए हम उतना इम्प्लायमेंट नहीं दे पा रहे हैं। महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इसलिए मैं आकड़ों की तफसील में नहीं जाना चाहता। महोदय, हमारे देश में जो पापुलेशन का रेट आफ ग्रोथ है और जो अनइम्प्लायमेंट का रेट आफ ग्रोथ है, अगर इन दोनों को एक साथ प्रोजेक्ट किया जाए तो हम पायेंगे कि अनइम्प्लायमेंट का रेट आफ ग्रोथ अधिक है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का आपस में सीधा कोई संबंध नहीं है और अनइम्प्लायमेंट का जो रेट आफ ग्रोथ अधिक है उसका कारण है फेल्योर आफ फाइव ईयर प्लानिंग। अगर एक-एक योजना को हम देखें तो पायेंगे कि हर योजना के बाद बेरोजगारी बढ़ती गई। महोदय, मैं पूरी तफसील से 40 साल का इतिहास नहीं दोहराना चाहता लेकिन जब वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया तो उन्होंने राजीव गांधी के जमाने को दोहराने की बात कही और सन् 1986-87 का जिक्र बार-बार आया लेकिन हम जानते हैं कि बेरोजगारी को बढ़ाने में, अनइम्प्लोय-मेंट प्राब्लम को बढ़ाने में और बेरोजगार नौजवानों में नाकामी और हताश बोने में सबसे ज्यादा हाथ सातवीं पंचवर्षीय योजना का है। जब यह योजना शुरू हो रही थी तब राजीव गांधी जी ने कहा था कि इस योजना के दौरान जो नई वर्क-फोर्स तैयार होगी, हम न केवल उसमें शामिल बेरोजगारों को काम देंगे बल्कि जो बैकलाग है, उसे भी पूरा कर देंगे। लेकिन जब सातवीं पंचवर्षीय योजना खत्म हुई तो बैकलाग और भी ज्यादा बढ़ गया।

महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि हमें प्लानिंग में स्ट्रक्चरल चेंज लाना पड़ेगा और इसके लिए अगर हम अपने देश की तरफ न देखकर केवल बाहर की तरफ ताकेंगे तो हम गलती करेंगे। आज नई इंडस्ट्रियल पालिसी के नाम पर, मार्डनाइजेशन के नाम पर, टेक्नोलोजी के नाम पर, विदेशी ऋण के नाम पर हम जो भी कुछ कर रहे हैं, मल्टी-नेशनल्स के लिए दरवाजे खोल रहे हैं, डि-लाइसेंसिंग कर रहे हैं, डि-कंट्रोल कर रहे हैं, इसकी वजह से इम्प्लायमेंट जन-रेशन का काम आहिस्ता-आहिस्ता और ठप्प पड़ रहा है।

हमारे यहां बंगाल से चुनी हुई सांसद और युवा वर्ग की नेत्री मंत्री महोदया मौजूद हैं। महोदय, जब हम काम के अधिकार की बात करते हैं तो यह समझते

[श्री मोहम्मद सलीम]

हैं कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में नौकरी मिल गई तो मामला पूरा हो गया, अब तो जिंदगी आराम से कट जाएगी। महोदय, आज के अखबार में है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कांसिल के 208 कर्मचारियों को डायरेक्टर की तरफ से नोटिस दिया गया है कि तुम्हारी और जरूरत नहीं है तुम अब घर बैठे रहो। यह नई सरकार की नई नीति है जिसके तहत आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं, यही है आप की नीति जिसके अंतर्गत उन लोगों की नौकरी जाने वाली है जो वहां 20-25 सालों से काम कर रहे हैं। आप तो पुराने बैकलाग को पूरा करने वाल थे और आज वह हाल हैं कि आप वर्तमान में कार्यरत लोगों को निकाल रहे हैं। यह एक नया खतरा हमारे सामने मौजूद हुआ है। दरअसल हम माडल ले रहे हैं, लेटिन अमरीका का जो मुल्क है उसकी तरफ जा रहे हैं। आइ०एम०एफ० सर्टिफिकेट दे रहा है, हम उसको दोहरा रहे हैं, उसकी शर्त के मुताबिक काम कर रहे हैं। लेकिन अपने यहां जो निजी संपदा है उसका सही व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं हैं। अपने बाजार को तरक्की देने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम अपने मुल्क में भूमि सुधार का काम नहीं करते हैं। हमारे देश में 80 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं। उनको बाजार में हम नहीं लाते। उनको पैसे देने की बात नहीं करते हैं। अगर कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ही पैसे देने की बात हम करेंगे तो हमारी समस्या चलती रहेगी। अगर हम जापान, साउथ कोरिया की बात करें, अगर हम समाजवादी देशों की बात नहीं करते तो वह भी अपने देश में पहले भूमि सुधार को मुकम्मिल तौर पर लागू किए हैं, तभी औद्योगिक विकास हुआ है। अगर हम भूमि सुधार नहीं करते हैं तो बाहर से कितना ही हम लोन ले लें उससे काम चलने वाला नहीं है। 1980 से 1989 तक जो लोन लिया है उससे हमारे देश के भूमिहीन किसानों को, मजदूरों को, ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है। उस डालर का, उस येन का, उपयोग पीले हरे रंग के रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए किया गया है, उस पैसे का ब्याज देने के लिए हमें पूंजी का 21 प्रतिशत खर्च करना पड़ेगा। यह अजीब माहौल है, अजीब परेशानी है।

महोदय, हम कहेंगे कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने काम के अधिकार को लागू किया था लेकिन उसकी प्लानिंग के लिए सही दिशा बनाई थी। जितने भी कानून भूमि सुधार से संबंधित थे उनको 9वें शैडूल में लाकर यह काम किया था। आज अगर ये अड़ंगा न डालें अगर यह सरकार सही मायने में ग्रामीण बेरोजगारों को काम देना चाहती है तो 9वें शैडूल में ले जाने की बात, भूमि सुधार कानूनों को लागू करने की बात करेंगे तो यह संभव होगा। इस देश के लोग जानते हैं कि सिर्फ कानून लाने से, संविधान में संशोधन करने से बेरोजगारों को काम मिलने वाला नहीं है। उस अधिकार को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए बेरोजगार नौजवान और ज्यादा संगठित होंगे तो वे अपने अधिकार को प्राप्त कर सकेंगे। पश्चिमी बंगाल में हम देखते हैं कि भूमि सुधार के कानून खेत मजदूरों के इकट्ठा होने से लागू कर पाए हैं। उसके विरोध के बावजूद भी इन कानूनों को लागू किया जा सका है। पूरे देश में हम समझते हैं कि सारे भूमि सुधार के काम तो तेजी से बढ़ायेंगे तो हम नई संपदा बना पायेंगे। उसका सही मायने में बटवारा कर पायेंगे और काम के अधिकार को सही मायने में लागू कर पायेंगे। धन्यवाद।

+[شری محمد سلیم "پشچمی بنگال" ۔ مانیئے اپ سبھا ادھیکش مہودیے ۔ ہمارے سنودھان کے ڈائریکٹیو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی میں کام کے ادھیکار کے بارے میں کہا گیا ہے ۔ آرٹیکل ۴۱ میں ہم دیکھتے ہیں ۔

"The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want."

اس کے ساتھ جب میں آرٹیکل ۳۹ "اے" اور آرٹیکل ۴۳ دیکھتا ہوں تو پاتا ہوں کہ ہمارے دیش کے سنودھان بنانے والوں نے ہمارے دیش کی سرکار اور دیش کو چلانے [illegible] کو یہ ادھیکار دیا تھا ۔ [illegible] ذمہ داری سونپی [illegible] ہمارے ملک کے نوکر، مزدوروں کو [illegible] کام کا ادھیکار ملے ۔ [illegible] کام کا [illegible] ہو ۔

مہودیے آزادی کے ۴۴ سال بعد [illegible] ہمارے سامنے [illegible] ایسی ۔ آر بومئی [illegible] کے اس سنودھان سنشودھن پر بحث کر رہے ہیں تو ہمیں افسوس ہے کہ یہ بات کہنی ہوتی ہے کہ ہمارے دیش کو چلانے والے اور کانگریس [illegible] پر یہ ذمہ داری دی گئی تھی ۔ اس ذمہ داری کو وہ نہیں نبھا پائے ۔ اور ایک کے بعد ایک پنچ ورشیہ [illegible] جب یہ کہا گیا کہ یوجنا کے انت تک ہمارے دیش کے نوجوانوں کو کام ملے گا ۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یوجنا [illegible] ناکامیاب ہوئی اور بے روزگاری بڑھتی گئی ۔ یہی وجہ ہے کہ اس دیش کے تمام لوگ سنگٹھن ۔ ہم ورشوں سے مانگ کرتے آئے ہیں کہ اب یہ ذمہ داری سرکار کے اوپر نہ سونپی جائے ۔ بلکہ [illegible] سنشودھن کے [illegible] جنتا اپنی کورٹ میں [illegible] چاہتی ہے ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ڈائریکٹیو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی سے اٹھا کر ہم اسے فنڈامینٹل رائٹس کے چیپٹر میں لانا چاہتے ہیں تاکہ ہر اس دیش کی جنتا کو بنیادی ادھیکار کی حیثیت سے حق کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے ۔ چونکہ ہمارے دیش کے سنودھان

نے ۴۰ سال ۔ ۴۲ سال دیکھے ہیں کہ
سرکار کے پاس ریزولیشن ہونے کے
باوجود بھی وہ اس کو لاگو نہیں کرتی ہے
تو اب جنتا یہ چاہتی ہے ۔ خاص کر کے
یووا ورگ ۔ کہ انکو یہ ادھیکار انکے
ہاتھ میں ملے ادھیکار کے روپ میں
اور یہ ہم نے ۱۹۸۹ کے چناؤ میں
دیکھا ۔ جنگ پہلے سے ورشوں یہ بات
چلی آرہی ہے ۔ آزادی کے بعد سنودھان
بنانے کیلئے کانسٹی ٹیوشن اسمبلی میں
بحث چلی ۔ اس بحث میں میں نہیں
جانا چاہتا ۔ وہ تمام دستاویز موجود
ہیں کہ کون وہ لوگ [illegible] اسکو
ادھیکار کی حیثیت سے دینے تھے ۔
اور کون وہ لوگ تھے جو اسکو ادھیکار
کی حیثیت سے نہیں دینا چاہتے تھے ۔
بہرحال ۔ ورش ۱۹۷۷ کی ۲۴
جولائی میں یہ بات اس لئے بول رہا
ہوں کہ آج ۲۴ جولائی ہے ۔ آج سے
ٹھیک ۱۳ سال پہلے لوک سبھا میں
ماسے بار کسوادی کمیونسٹ پارٹی
کے سانسد شری جیوتر مے بسو نے یہ
مانگ کی تھی ۔ میں ڈیبیٹ سے کوٹ
کرنا چاہتا ہوں ۔ انہوں نے کہا تھا ۔

"That the right to work be enshrined in the Constitution as fundamental right and at the same time making a provision for giving sustenance allowance for unemployed persons."

۔ ہم نہیں دے سکتی ہے سرکار
تو نقد الاؤنس دے ۔ جو ہمارے
ڈائریکٹیو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی
میں لکھا ہے ۔ ورش ۱۹۸۸ میں ہمارے
آدرنیہ اور لیوا ساتھی کمیشن تھا اس
کی پریزیڈنٹ بل آف فنڈامنٹل رائٹ
کی حیثیت سے آپکی کام کے ادھیکار کو
دینے کی بات پر تو ابھی بھی وہ
مہودے منتری بنے ہیں ۔ اس سے بھی
وہ منتری تھے لا اینڈ آرڈر کے شری جان
آر ۔ بھاردواج ۔ انہوں نے جو بات
کہی تھی لوک سبھا میں ۔ میں اس
بات کو دوہرانا چاہتا ہوں اس سے
آدرنیہ صاحب ہو جاتا ہے انکا یہ کہنا
تھا ۔

"It will weaken the weaker sections more if we give them just Rs. 100/- and ask them to do nothing. They sit idle at home. Firstly, Rs. 100/- will be of no use them for sustaining themselves, to get good, clothing and shelter. And that would further weaken the desire to achieve self-sufficiency and self-reliance."

† اسلئے وہ اسکے سمرتھن میں ہیں۔ ۱۹۸۸ میں جب یہ بات سامنے کے اندر لگی ہاری تھی اس سے دیش کے نوجوان۔ یووا سنگٹھن اور ہم یہ مانگ کر رہے تھے کہ فنڈامینٹل رائٹ کی حیثیت سے کام کے ادھیکار کو مانیتا دی جائے اور ۱۹۸۹ کے چناؤ میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ مانگ کافی آگے بڑھی۔ سب دیش کے قریب قریب تمام راجنیتک دلوں نے اس بات کو مانا کہ ہاں۔ رائٹ ٹو ورک کو سودھان میں مانیتا دینی چاہئے۔ ۱۹۸۹ میں جب دیش میں راشٹریہ مورچہ کی سرکار بنی تو ہمارے دیش کے یووا ورگ کے اندر کچھ آشاواد پیدا ہوا کہ شاید اب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ نیشنل فرنٹ گورنمنٹ نے بھی اپنے ۱۱ مہینے کے شاسن کال میں رائٹ ٹو ورک کو کانسٹی ٹیوشن میں امینڈ کرنے کے بارے میں بہت زیادہ کچھ ٹھوس قدم نہیں اٹھائے۔ میں یہ بات کہتا ہوں۔ ہاں پلاننگ کمیشن کو یہ ڈائریکٹیو دی گئی۔ یہ ڈائریکٹیو دی گئی کہ جو آٹھویں پنچ سالہ یوجنا ہے اسکو بنانے سے پلان کا حصہ میں مقرر سٹ ہوگا وہ ایمپلائمنٹ اورینٹیڈ ہو جاتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں۔ جب سرکار بدل گئی تو وہ ایک اپروچ جو آٹھویں پنچ ورشیہ یوجنا کی تھی۔ جیسا پہلا مقصد ہمارے دیش میں پنچ سالہ یوجنا بنانے کیلئے۔ ساتھ ساتھ یوجنا کی دلیو سمجھانے کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ پہلی بار ایک یہ لگتی ہے کہ ہماری یوجنا کتنے کروڑ روپے کی ہوگی۔ اس سے زیادہ اہمیت اسمیں یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو نوکری ہوگی۔ کام ہوگا۔ اسکو دیکھنا ہے۔ سرکار بدلنے کے ساتھ ہی۔ وہ اپروچ ختم ہو گئی۔

ابھی ہماری نئی سرکار بنی ہے دشا کی اور جا رہی ہے۔ میں دھنیہ واد کرتا ہوں آپکو والیہ جی کو اور خاص کر اس امینڈمنٹ کے اوپر جو لمبی بحث کئی مہینوں سے چل رہی ہے۔ ایسے سے پر یہ بحث چل رہی ہے جب صاف صاف یہ ظاہر ہے کہ ہمارے دیش کے سودھان میں دیش چلانے والے لوگ رائٹ ٹو ورک کو انکار یوریٹ کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت یہ بل اسٹرڈ ڈاؤن کیا گیا۔ اور اس

کے بعد دوسری سرکار آئی جو مائنارٹی
گورنمنٹ تھی۔ آہلووالیہ جی کی پارٹی
کے سمرتھن میں بنی ہوئی سرکار تھی۔
یہاں کھڑے ہو کر دیش کے پردھان
منتری شری چندر شیکھر نے اس
سدن میں یہ کہا تھا کہ یہ سب بکواس
ہے۔ رائٹ ٹو ورک ہو نہیں سکتا
اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے کچھ
ساتھی جو سرکار کا سمرتھن کر رہے
تھے۔ آہلووالیہ جی کی پارٹی کے تھے۔
یہاں ٹیبل تھپ تھپائی تھی کہ ہاں چلو
بکواس ہے اور یہ نہیں ہوگا اچھی بات
ہے۔ اب تو آہلووالیہ جی کی پارٹی
کی سرکار بن گئی ہے اور یہ بحث چلتی جا
رہی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بحث
کا جو موڑ ہے وہ کس طرح مڑتا جا رہا
ہے۔ ایک ایک سدن میں آ کر رکے۔
آج جو نئی انڈسٹریل پالیسی لائی
گئی۔ جو بجٹ پیش کیا گیا۔ آئی۔ ایم۔
ایف۔ اور ورلڈ بینک کا جو قرض
لیا گیا۔ آج جو چدمبرم جی کہہ رہے
تھے۔ یہ جو واسو بنتی ہیں ہر معاملے
میں آئی۔ ایم۔ ایف۔ دیکھتے ہیں۔ لیکن
یہ تو بات ٹھیک ہے ہمارے دیش کی جو

انڈسٹری ہے چاہے وہ پبلک سیکٹر ہو یا
چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو تو وہ کتنا
امپلائمنٹ جنریٹ کر سکتی اسکی دشا
ہم ٹھیک کرتے ہیں انڈسٹریل پالیسی
کے ذریعے اور انڈسٹریل پالیسی اگر آئی۔
ایم۔ ایف۔ اور ورلڈ بینک کی ڈکٹیشن
پر ہو تو آئی۔ ایم۔ ایف۔ اور ورلڈ
بینک کو دیکھنا پڑے گا۔ ابھی جس طرح
سے راشٹریہ ادیوگ کا نجیکرن کیا جا
رہا ہے۔ اور جس کے لئے ابھی بھی
ہمارے کچھ سدسیئے یہاں ٹیبل تھپ
تھپا رہے ہیں۔ تو اس سے امپلائمنٹ
جنریٹ کا جو معاملہ ہے وہ گھٹتا چلا
جائیگا۔ اس بارے میں میں ایک
بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ مانیہ ور۔ ابھی
پہلے ہمارے ایک سدسیئے کہہ رہے تھے۔
اور یہ آرگیومنٹ تھما یہ ترک بڑے
جوش کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ پچھلے
ورش جب یہ چل رہا تھا تو ہمارے
ایک اور سدسیئے پروفیسر چندریش
پی۔ ٹھاکر جی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ
پاپولیشن کا جو یہ معاملہ ہے ایمپلائمنٹ
کے ساتھ اسکو جوڑا جاتا ہے۔ یہ
مجبوری ہے اور اسکو زبردست طریقے

سنہ ۸۷-۱۹۸۹ کا ذکر بار بار آیا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ بیروزگاری بڑھانے میں۔ ان ایمپلائمنٹ کی پرابلم کو بڑھانے میں اور بے روزگار نوجوانوں میں ناکامی اور نراشا ہونے میں سب سے زیادہ ہاتھ ساتویں پنج ورشیہ یوجنا کا ہے۔ جب یہ یوجنا شروع ہو رہی تھی تب راجیو گاندھی جی نے کہا تھا کہ اس یوجنا کے دوران جو نئی ورک فورس تیار ہوگی۔ ہم نہ کیول اس میں شامل بے روزگاروں کو کام دینگے بلکہ جو بیک لاگ ہے۔ اسے بھی پورا کر دینگے لیکن جب ساتویں پنج ورشیہ یوجنا ختم ہوئی تو بیک لاگ اور بھی زیادہ بڑھ گیا

مہودے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں پلاننگ میں اسٹرکچرل چینج لانا پڑیگا۔ اور اس کے لئے اگر ہم اپنے دیش کی طرف نہ دیکھ کر کیول باہر کی طرف تاکیں گے۔ تو ہم غلطی کریں گے۔ آج نئی انڈسٹریل پالیسی کے نام پر۔ ماڈرنائزیشن کے نام پر۔ ٹیکنالوجی کے نام پر۔ ودیشی پونجی کے نام پر ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں

اٹھائے جا سکتے ہیں۔ لیکن جیسا میں نے پہلے کہا کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے۔ اسلئے ہم اتنا ایمپلائمنٹ نہیں دے پا رہے ہیں۔ مہودے۔ میں زیادہ سمے نہیں لونگا اس لئے میں آنکڑوں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ مہودے۔ ہمارے دیش میں جو پاپولیشن کا ریٹ آف گروتھ ہے اور جو ان ایمپلائمنٹ کا ریٹ آف گروتھ ہے۔ اگر ان دونوں کو ایک ساتھ پروجیکٹ کیا جائے تو ہم پائیں گے کہ ان ایمپلائمنٹ کا ریٹ آف گروتھ ادھک ہے۔ تو اسکا مطلب ہے کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی سیدھا سمبندھ نہیں ہے اور ان ایمپلائمنٹ کا جو ریٹ آف گروتھ ادھک ہے اسکا کارن ہے فیلیور آف فائیو ایئر پلاننگ۔ اگر ایک ایک یوجنا کو ہم دیکھیں تو پائیں گے کہ ہر یوجنا کے بعد بیروزگاری بڑھتی گئی۔ مہودے میں پوری تفصیل سے ۴۰ سال کا اتہاس نہیں دہرانا چاہتا لیکن جب وت منتری جی نے بجٹ پیش کیا تو انہوں نے راجیو گاندھی کے زمانے کو دہرانے کی بات کہی اور

آنکی مدد سے کوسی ندی پر باندھ بنا
کر باڑھ کو روک سکتے ہیں۔ ہم
ضرورت پڑنے پر انکی مدد سے بنگال
کی کھاڑی سے پانی لاکر راجستھان میں
بھر پانی لا سکتے ہیں۔ ضرورت پڑنے
پر ہم ہمالیہ کی چوٹی سے برف پگھلا
کر آندھرا پردیش اور تمل ناڈو کی پیاسی
جنتا کو پانی پلا سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ
پلان بناتے ہیں۔ یوجنا بناتے ہیں۔
سرکار چلاتے ہیں۔ وہ کبھی ہمارے ان
نوجوانوں کی اس شکتی کے بارے میں
نہیں سوچتے ہیں۔ وہ چناؤ سے پہلے
جنتا کے پاس جاکر کچھ اور کہتے ہیں۔
اور چناؤ کے بعد یہاں آکر کچھ اور کرتے
ہیں۔

مہودے۔ بے روزگار نوجوانوں کو
نوکری دینے کا مطلب صرف سرکاری
نوکری دینا نہیں ہے۔ صرف سرکاری
نوکری دے کر سمسیا کا سمادھان نہیں
ہو سکتا۔ اسکا ارتھ یہ ہے کہ اس
نوجوان کو صحیح معنوں میں کچھ گینفل
ایمپلائمنٹ دیا جائے۔ جس سے وہ
اپنی پرورش کر سکے۔ اپنے پریوار کی
پرورش کر سکے۔ اس دشا میں کچھ قدم

سے جو حکمران طبقہ ہے۔ اس کمزوری
کو کہتا جاتا ہے کہ کیا کریں گے جن
سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے تو نوکری
کیسے دے سکیں میں یہ مانتا ہوں کہ
ہمارے دیش کے لئے جن سنکھیا
ایک سمسیا ہے۔ اور اسکو صحیح معنی
میں مینپاور میں لانے کیلئے کوشش
کرنی چاہیئے۔ لیکن بے روزگاری اتنی
بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ۱۲ کروڑ بے روزگار
ہیں۔ اسلئے نہیں کہ جن سنکھیا بڑھتی
جا رہی ہے۔ اسکو تو صحیح معنوں میں
استعمال کرنا چاہیئے۔ ہمارے دیش
میں آج اگر گرامین چھیتر کے بے روز
گاروں کو جوڑا جائے۔ رجسٹرڈ جو بیکار
ہیں اسکے ساتھ تو ۱۲ کروڑ بے روزگار
ہیں۔ ۲۴ کروڑ ہاتھ ہیں۔ جن ہاتھوں
کو اگر ہم صحیح معنوں میں کام دیتے
ہیں انکا استعمال کرنے کی پلاننگ
کرتے ہیں تو آج جس ماڈرنائزیشن
اور ٹیکنالوجی کی بات کی جا رہی
ہے۔ ان تمام مشینوں کمپیوٹروں
اور سپر کمپیوٹروں کی تلنا میں ہمارے
دیش میں ۱۲ کروڑ نوجوانوں کے
۲۴ کروڑ ہاتھ زیادہ طاقتور ہیں۔ ہم

ملٹی نیشنل کیلئے دروازے کھول رہے ہیں۔ ڈی لائسینسنگ کر رہے ہیں، ڈی کنٹرول کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ ایمپلائمنٹ جنریشن کا کام آہستہ آہستہ اور ٹھپ پڑ رہا ہے۔

ہمارے یہاں بنگال سے چھپی ہوئی سالسد اور لوہا ورک کی نیتری نغزی مہودیہ موجود ہیں۔ مہودے۔ جب ہم کام کے ادھیکار کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ کیندریہ سرکار یا راجیہ سرکار میں نوکری مل گئی تو معاملہ پورا گیا اب تو زندگی آرام سے کٹ جائے گی۔ مہودے آج اخبار میں آیا ہے کہ ایکسپورٹ پروموشن کاؤنسل سے ۲۰۸ کرمچاریوں کو ڈائریکٹر کی طرف سے نوٹس دیا گیا ہے کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے تم اب گھر بیٹھے رہو۔ یہ نئی سرکار کی نئی نیتی ہے۔ جسکے تحت آپ لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں یہی ہے آپ کی نیتی جسکے انترگت ان لوگوں کی نوکری جانے والی ہے جو وہاں بیس پچیس سالوں سے کام کر رہے ہیں۔ آپ تو بڑے بڑے بیک

ٹکنالوجی کو پورا کرنے والے تھے اور آج یہ حال ہے کہ آپ ورتمان میں کاریگروں کو نکال رہے ہیں۔ یہ ایک نیا خطرہ ہمارے سامنے موجود ہوا ہے۔ دراصل ہم ماڈل لے رہے ہیں۔ لیٹن امریکہ کا جو ملک ہے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ آئی۔ ایم۔ ایف سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ ہم اسکو دوہرا رہے ہیں اسکی شرط کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ لیکن اپنے یہاں جو بھی سمپدا ہے اسکا صحیح ویوہار کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں۔ اپنے بازار کو ترقی دینے کیلئے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ملک میں بھومی میں سدھار کا کام نہیں کرتے ہیں ہمارے دیش میں ۸۰ فیصدی لوگ گاؤں میں رہتے ہیں۔ انکو بازار میں ہم نہیں لاتے ہیں۔ انکو پیسے دینے کی بات ہم نہیں کرتے ہیں۔ اگر کچھ مٹھی بھر لوگوں کے ہاتھوں میں ہی پیسے دینے کی بات ہم کریں گے تو ہماری سمسیا چلتی رہے گی۔ اگر ہم جاپان، ساؤتھ کوریا کی بات کریں۔ اگر ہم سماجوادی دیشوں کی بات نہیں کرتے

تو وہ بھی اپنے دیش میں پہلے بھومی سدھار کو مکمل طور پر لاگو کئے ہیں تبھی ادھیوگ وکاس ہوا ہے۔ اگر ہم بھومی سدھار نہیں کرتے ہیں تو باہر سے کتنا ہی ہم لون لے لیں اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ ۱۹۸۰ سے ۱۹۸۹ تک جو لون لیا ہے اس سے ہمارے دیش کے بھومی ہین کسانوں کو، مزدوروں کو، گرامین بے روزگاروں کو روزگار نہیں ملا ہے۔ اس ڈالر کا، اس پین کا۔ اپیوگ پہلے پرنے رنگ کے رلیفریجریٹر خریدنے کیلئے کیا گیا ہے۔ اس پیسے کا بیاج دینے کے لئے ہمیں لوگوں کا ۲۱ پرتیشت خرچ کرنا پڑیگا۔ یہ عجیب ماحول ہے۔ عجیب پریشانی ہے۔ دوسرے ہم کہیں گے کہ راشٹریہ مورچہ سرکار نے کام کے ادھیکار کو لاگو کیا تھا لیکن اسکی پلاننگ کیلئے صحیح دشا بنائی تھی۔ جتنے بھی قانون بھومی سدھار سے سمبندھت تھے انکو نویں شیڈول میں لاکر یہ کام کیا تھا۔ آج اگر یہ اڈنگا نہ ڈالیں اگر یہ سرکار صحیح معنی میں گرامین بے روزگاروں کو روزگار دینا چاہتی ہے تو نویں شیڈول میں لے جانے کی بات۔ بھومی سدھار قانونوں کو لاگو کرنے کی بات کریں گے تو یہ سمجھوتہ ہوگا۔ اس دیش کے لوگ جانتے ہیں کہ صرف قانون لانے سے ہندوستان میں سنشودھن کرنے سے بے روزگاروں کو کام ملنے والا نہیں ہے۔ اس ادھیکار کو بنیادی ادھیکار بنانے کیلئے بے روزگار نوجوان اور زیادہ سنگٹھت ہونگے تو وہ اپنے ادھیکار کو پراپت کر سکیں گے پشچمی بنگال میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھومی سدھار کے قانون کھیت مزدوروں کو اکٹھا ہونے سے لاگو کر پائے ہیں۔ اتنے ورودھ کے باوجود بھی ان قانونوں کو لاگو کیا جا سکتا ہے۔ پورے دیش میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھومی سدھار کے کام کو تیزی سے بڑھائیں گے۔ تو ہم نئی سمپدا بنائیں گے۔ اسکا صحیح معنی میں بٹوارا کر پائیں گے۔ اور کام کے ادھیکار کو صحیح معنی میں لاگو کر پائیں گے۔ دھنیہ واد۔]

THE VICE CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): I would request the Members to be brief and to the point. Now, Maulana Obaidullah Khan Azmi.

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी (उत्तर प्रदेश) : शुक्रिया वाइस चेयरमैन साहब। मैं प्रहलुवालिया जी ने जो प्राइवेट मैंबर बिल रखा है राइट टु वर्क के सिलसिले में, उसका भरपूर समर्थन करते हुए लोगों के रोजगार के सिलसिले में कहना चाहूंगा कि —

जब काम न होगा तो क्राइम भी बढ़ेंगे,

तब गुनाह होंगे, इंसानियत बिखरेगी, जरायम भी बढ़ेंगे।

किसी भी मुल्क में हुकूमत की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने मुल्क की जनता को रोटी कपड़ा दे और बेरोजगार लोगों को काम दे।

यह बड़े ही शर्म की बात है कि हमारी आजादी को हाफ सेन्चुरी होने जा रही है और अभी तक हम अपने मुल्क में पांच करोड़ लोगों को जो काम करने के लायक हैं, देश का उत्पादन बढ़ाने के लायक हैं, जिन के दिल और दिमाग देश की इज्जत और गरिमा को आसमान तक पहुंचा सकते हैं उन्हें हमारी हुकूमत काम देने में नकारा रही है। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या जनता (एस) की सरकार रही हो सारी सरकारें ने अपने आप को वचनबद्ध किया था कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जायेगा। लेकिन अफसोस यह है कि अब तक बेरोजगार जुबानेहाल से कह रहे हैं :

मरीजे इश्क पर रहमत खुदा की।
मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की।

जब तक मुल्क से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी आए दिन नित नये फितने जन्म लेते रहेंगे। बेरोजगारी का खत्म न होना ही देश की तबाही का सबब बनता है। देश में हजारों लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है, मुल्क के जाहिल और पढ़े-लिखे लोग इत्तफाक से हमारे देश में बेकारी के कठघर में दोनों एक साथ आते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि मुल्क की बंजर जमीनों को काम में लाकर बेरोजगार लोगों को हुकूमत रोजगार दे सकती है पेड़, जंगल और पौधों को लगाकर भी एक तरफ बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं और दूसरी तरफ देश की आबोहवा भी बेहतर बनाई जा सकती है।

मेरी कुछ और राय भी इस सिलसिले में है और जोर देकर यह कहना चाहूंगा कि मुल्क में बहुत सारे कारखाने बंद हो गये हैं। उन कारखानों के जरिये लोगों का पालन-पोषण होता था। आज लोगों के लबों से तबस्सुम रूठ चुकी है, उनका दिल हसरतों और अरमान का मजार बन चुका है। दर-दर तक उन्हें अपना भविष्य, मुस्तकबिल अंधेरे में दिखाई देता है। ऐसी सूरत में अच्छा होता कि वे बंद कारखाने खोले जाते, नये कारखाने लगाये जाते ताकि बेरोजगारों को अपने रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने का मौका मिलता। पढ़े-लिखे लोगों को, बेरोजगार लोगों को सरकारी कर्ज भी आसान किश्तों पर दिया जाये। वह अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करके अपने खानदान का पालन पोषण कर सकते हैं। कारखानों में, इंडस्ट्रीज में अपने उत्पादन की राहों पर दूसरे लोगों को भी लगाकर हिन्दुस्तान के गरीब खानदान का पेट पाल सकते हैं। मुल्क में चाहे फसादात हों और चाहे फिरकापरस्ती हो— खाली घर शैतान का होता है। जब आदमी के पास कोई काम नहीं होता तो शैतानियत करता है। उसका दिल और

[श्री मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी]

दिमाग बुराई की राह पर लगता है। बड़ी मेहनत और मन्सूबे के साथ कान्स्ट्रक्शन तामीर को अमल में लाया जा सकता है। लेकिन बनी हुई बिल्डिंग बिगाड़ने के लिए, बने हुए घर फूंकने के लिए, भरा हुआ खानदान तबाह और बर्बाद करने के लिए कोई टाइम नहीं लगता। जिन लोगों को कारोबार नहीं मिलता उन लोगों के खाली होने की वजह से, बेरोजगार होने की वजह से देश के दुश्मनों के मनसूबे असलीजामा पहनते हैं। इन्हीं बेरोजगार लोगों के जरिये देश के दुश्मन उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर जिन हाथों को हम काम देकर देश की इज्जत और देश का चेहरा खूबसूरत बना सकते थे, उन्हीं लोगों को जब काम नहीं मिलता देश के दुश्मन उन लोगों के हाथों को खरीद लेते हैं, उनके पैरों का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। जो आंखें देश की सरहदों की हिफाजत कर सकती थी वे आंखें दूसरों की आंखें फोड़ने की ताक में लग जाती हैं। देश के दुश्मन लोगों को खरीद कर, एक्सप्लाएड करके उनके दिल और दिमाग को बदल कर देश के कंस्ट्रक्शन के बजाय देश को तोड़ने में लगा देते हैं। आज हमारे ही देशवासी देश फूंक रहे हैं, हमारे ही देशवासी ट्रेनें जला रहे हैं, हमारे ही देशवासी मुल्क की बड़ी-बड़ी शख्सीयत को कत्ल कर रहे हैं। जाहिर है बड़ी शख्सीयतों को भी कत्ल करने में उन्हें पैसा मिलता होगा? फसादात कराने में भी उन्हें पैसा मिलता होगा? देश का नक्शा फोरेन में जासूसी के लिए बेचने में पैसा मिलता होगा? आज आदमी यह सब जो बुरे काम कर रहा है सिर्फ पेट की आग की बुनियाद पर कर रहा है। अगर उसकी बेरोजगारी खत्म हो जाए तो जो लोग गुमराह हो गये हैं उन्हें देश को आगे बढ़ाने के काम में लगाया जा सकता है। पूरे मुल्क में अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो कर रह गई है, इकोनोमी पालिसी तबाह हो चुकी है। लोगों को खाने को पेट भर रोटी नहीं मिल रही है, पहनने को कपड़ा नहीं मिल रहा है. बजट भी कुछ इस तरह का सामने आया है—बड़े लोगों की सेहत पर उसका असर पड़े या न पड़े - मगर गरीब लोगों पर उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। चीनी के दाम बढ़ गये हैं। गरीब आदमी किस तरह से खरीदेगा? हम बेरोजगारी खत्म करते, लेकिन आज बेरोजगारी और भी ज्यादा मुंह खोलकर खड़ी हो रही है, खाद किसानों की दौलत है, सम्पत्ति है। खाद के ऊपर भी जिस तरह से टैक्स बढ़ा दिया गया है उससे भी डायरेक्ट गरीब आदमी मुतासिर होगा। उसी के साथ में आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि हुकूमत को इस सिलसिले में जमकर सोचना चाहिए और फैसला लेना चाहिए। बेरोजगारी खत्म करने के लिए गरीब तबके के लोगों की हालात पर निगाह रखी जाय, उनको जरूरियात की चीजें सस्ते दाम पर दी जायें। मजीद उनको काम देने के लिए भी हुकूमत को आगे बढ़कर कदम उठाने चाहिए। इन जुम्लों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

مولانا عبید اللہ خان اعظمی "اتر پردیش": شکریہ وائس چیئرمین صاحب میں آہلووالیہ جی نے جو پرائیویٹ ممبر بل رکھا ہے۔ رائٹ ٹو ورک کے سلسلہ میں اس کا سمرتھن کرتے ہوئے لوگوں کے روزگار کے سلسلہ میں کہنا چاہوں گا کہ۔

جب کام نہ ہوگا تو کرائم کیسے نہ بڑھیں گے
تب ختم ہوں گے انسانیت بکھرے گی۔
جرائم بھی بڑھیں گے۔

کسی بھی ملک میں حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کی جنتا کو روٹی کپڑا دے اور بے روزگار لوگوں کو کام دے۔ یہ بڑے ہی شرم کی بات ہے کہ ہماری آزادی کو ہاف سینچری ہونے جارہی ہے اور ابھی تک ہم اپنے ملک میں پانچ کروڑ لوگوں کو جو کام کرنے کے لائق ہیں۔ دیش کا اُتھان بڑھانے کے لائق ہیں جن کے دل اور دماغ دیش کی عزت اور گریما کو آسمان تک پہنچا سکتے ہیں انہیں ہماری حکومت کام دینے میں ناکارہ رہی ہے۔ راشٹریہ مورچہ کی سرکار ہو چاہے کانگریس کی سرکار رہی ہو یا جنتا (ایس) کی سرکار رہی ہو۔ ساری سرکاروں نے اپنے آپ کو وچن بدھ کیا تھا کہ بے روزگاروں کو روزگار دیا جائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اب تک بے روزگار زبان حال سے کہہ رہے ہیں:

مریض عشق پر رحمت خدا کی
مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

جب تک ملک سے بے روزگاری ختم نہیں ہوگی آئے دن نت نئے فتنے جنم لیتے رہیں گے۔ بے روزگاری کا ختم نہ ہونا ہی دیش کی تباہی کا سبب ہے۔ دیش میں ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین بیکار پڑی ہوئی ہے۔ ملک کے جاہل و پڑھے لکھے لوگ اتفاق سے ہمارے دیش میں بیکاری کے گھیرے میں دونوں ایک ساتھ آئے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ ملک بنجر زمینوں کو کام میں لاکر بے روزگار لوگوں کو حکومت روزگار دے سکتی ہے۔ پیڑ جنگل اور پودوں کو لگاکر بھی ایک طرف بے روزگاروں کو روزگار دے سکتے ہیں اور دوسری طرف دیش کی آب و ہوا بھی بہتر بنائی جا سکتی ہے۔

میری ایچھا اور رائے بھی اس سلسلے

میں ہے اور رہ رہ کر یہ لینا چاہوں گا کہ ملک میں بہت سارے کارخانے بند ہو گئے ہیں۔ ان کارخانوں کے ذریعے لوگوں کا پالن پوشن ہوتا تھا۔ آج لوگوں کے لبوں سے تبسم روٹھ چکا ہے۔ انکا دل حسرتوں اور ارمان کا مزار بن چکا ہے۔ دور دور تک انہیں اپنا بھوشیہ مستقبل اندھیرے میں دکھائی دیتا ہے۔ ایسی صورت میں اچھا ہوتا کہ وہ بند کارخانے کھولے جاتے۔ نئے کارخانے لگائے جاتے تاکہ بے روزگاروں کو اپنے روشن مستقبل کی طرف بڑھنے کا موقع ملتا۔ پڑھے لکھے لوگوں کو بے روزگار لوگوں کو سرکاری قرض بھی آسان قسطوں پر دیا جائے۔ وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے اپنے خاندان کا پالن پوشن کر سکتے ہیں۔ کارخانوں میں انڈسٹریز میں اپنے اتپادن کی راہوں پر دوسرے لوگوں کو بھی لگا کر ہندوستان کے غریب خاندان کا پیٹ پال سکتے ہیں۔ ملک میں چاہے فسادات ہوں اور چاہے فرقہ پرستی ہو۔ خالی گھر شیطان کا ہوتا ہے۔ جب آدمی کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو شیطانیت کرتا ہے۔ اسکا دل اور دماغ برائی کی راہ پر لگتا ہے۔ کنسٹرکشن کیلئے بڑی محنت منصوبے کے ساتھ کنسٹرکشن کو عمل میں لایا جا سکتا ہے لیکن بنی ہوئی بلڈنگیں بگاڑنے کیلئے بنے ہوئے گھر پھونکنے کیلئے۔ بسا ہوا خاندان تباہ اور برباد کرنے کیلئے کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ جن لوگوں کو کاروبار نہیں ملتا۔ ان لوگوں کے خالی ہونے کی وجہ سے دیش کے دشمنوں کے منصوبے عملی جامہ پہنتے ہیں۔ انہی بے روزگار لوگوں کے ذریعے دیش کے دشمن انکی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر جن ہاتھوں کو ہم کام دے کر دیش کی عزت اور دیش کا چہرہ خوبصورت بنا سکتے تھے۔ انہی لوگوں کو جب کام نہیں ملتا دیش کے دشمن ان لوگوں کے ہاتھوں کو خرید لیتے ہیں۔ انکے پیٹروں کا ناجائز استعمال کرتے ہیں جو آنکھیں دیش کی سرحدوں کی حفاظت کر سکتی تھیں۔ وہ آنکھیں دوسروں کی آنکھیں پھوڑنے کی تاک میں لگ جاتی ہیں۔ دیش کے دشمن لوگوں کو خرید کر۔ ایکسپلائٹ کر کے ان کے دل اور دماغ کو بدل کر دیش کے کنسٹرکشن

کے بجائے دلتوں کو توڑنے میں لگا دیتے ہیں۔ آج ہمارے ہی دلت واسی جھونک رہے ہیں۔ ہمارے ہی دلت واسی ٹرینیں جلا رہے ہیں۔ ہمارے ہی دلت واسی ملک کی بڑی بڑی شخصیت کو قتل کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے بڑی بڑی شخصیتوں کو بھی قتل کرنے میں انہیں پیسہ ملتا ہوگا۔ فسادات کرانے میں بھی انہیں پیسہ ملتا ہوگا۔ دلت کا نقش مارن جاسوسی کیلئے بھیجنے میں پیسہ ملتا ہوگا۔ آج آدمی یہ سب جو برے کام کر رہا ہے۔ صرف پیٹ کی آگ کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ اگر اسکی بے روزگاری ختم ہو جائے تو جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ انہیں دلت کو آگے بڑھانے کے کام میں لگایا جا سکتا ہے۔ پورے ملک میں ارتھ ویوستھا چھن بھن ہو کر رہ گئی ہے۔ اکونومی پالیسی تباہ ہو چکی ہے۔ لوگوں کو کھانے کو پیٹ بھر روٹی نہیں مل رہی ہے۔ پہننے کو کپڑا نہیں مل رہا ہے بجٹ بھی کچھ اس طرح کا سامنے آیا ہے بڑے لوگوں کی صحت پر اس کا اثر پڑے یا نہ پڑے مگر غریب لوگوں پر اس کا ڈائریکٹ اثر پڑےگا۔ چیزوں کے دام بڑھ گئے ہیں۔ غریب آدمی کس طرح سے خرید لیگا۔ ہم بے روزگاری ختم کرنے۔ لیکن آج بے روزگاری اور بھی زیادہ منہ کھولکر کھڑی ہو رہی ہے۔ کھاد کسانوں کی دولت ہے۔ سمپتی ہے۔ کھاد کے اوپر بھی جس طرح سے ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے۔ اس سے بھی ڈائریکٹ غریب آدمی متاثر ہوگا۔ اس کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کو اس معاملے میں جم کر سوچنا چاہئیے اور فیصلہ لینا چاہئیے۔ بے روزگاری ختم کرنے کیلئے غریب طبقے کے لوگوں کی حالت پر نگاہ رکھی جائے۔ اشیائے خوردنی کی چیزیں سستے دام پر دی جائیں مزید انکو کام دینے کے لئے بھی حکومت کو آگے بڑھ کر قدم اٹھانے چاہئیے۔ ان جملوں کے ساتھ میں اس بل کا سمرتھن کرتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔]

श्री शांति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं श्री अहलुवालिया जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे संविधान में काम के अधिकार का बिल इस सदन में रखा है। मैं इस विषय पर बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि हमारे देश में पढ़े-लिखे और अनपढ़ शिक्षित और अशिक्षित करोड़ों की तादाद में बेरोजगार नवजवान काम की तलाश में घूम रहे हैं और काम का अधिकार भी मांग रहे हैं और काम का अधिकार मांगना आज की जनवादी परम्पराओं के अनुसार भी है और वक्त का तकाजा भी है। मैं समझता हूं कि आठवीं योजना में और जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष का अभी हाल में पेश किया है उसमें भी कोई बात हमारे सामने नहीं आई है कि देश में जो करोड़ों नवजवान शहरों और गांवों में एग्रीकल्चर में काम मांगते हैं, उद्योगों में काम मांगते हैं, दफ्तरों में काम मांगते हैं, उनके लिए आठवीं योजना में रोजगार का, इम्प्लायमेंट का, कितने लोगों के लिए कहां कहां क्या आयोजन किया गया है, यह पकड़ में नहीं आता है।

श्रीमान, आई. एम. एफ. का लोन, वर्ल्ड बैंक का लोन, इकनोमिक और फिसकल अनुशासन और वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के जो भी उपाय बजट में माननीय वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किये हैं, उनकी मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनकी तारीफ ही कर रहा हूं, मगर ये लोन भी और जो उपाय किये गये हैं, ये तब तक कारगर नहीं होंगे जब तक अपने देश में जो बड़ी तादाद में नवजवान और अधेड़ जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए काम देने और काम का अधिकार देने का कोई प्रावधान नहीं करते हैं तब तक समाज में टेंशन रहेगा और समाज में टेंशन रहेगा तो हिंसा बढ़ेगी और हिंसा बढ़ेगी तो टेरोरिज्म बढ़ेगा और बढ़ रहा है और जैसा कि किसी माननीय सदस्य ने कहा कि आज के जमाने में किडनेपिंग, राहजनी और क्राइम्स शहरों और गांवों में बढ़ रहे हैं. इसमें बहुत से नवजवान बड़े घरों के होते हैं और वे बेरोजगार होते हैं और काम के अधिकार की मांग कर रहे हैं। वे काम मांग रहे हैं। उद्योगों में काम मांग रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में काम मांग रहे हैं, सचिवालय में काम मांग रहे हैं। उनको काम नहीं मिलता है तो वे क्राइम की तलाश में घूम रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब तक काम का अधिकार नहीं मिलता है, लोगों को काम नहीं मिलता है तब तक भारत की तरक्की नामुमकिन है।

अन्त में मैं कहूंगा कि यह जो आई० एम. एफ. का लोन आ रहा है, अमेरिका का पैसा आ रहा है, वर्ल्ड बैंक का आ रहा है और जो सोना आपने गिरवी रख दिया है, यह कोई पैनिशिया नहीं है। यह देश की मुश्किलात को, अनइम्प्लायमेंट प्रोबलम को और सोशियल टेंशन को दूर नहीं कर सकता है। दूसरे देशों का तजर्बा हमें बताता है कि आई. एम. एफ के लोन से या अमेरिका के पैसे से, उन देशों में तरक्की हुई हो, ऐसा दुनिया का इतिहास नहीं कहता है। ऐसा दुनिया का इतिहास बताता है। इसीलिये मैंने कहा कि बड़ी सावधानी और चौकसी की आवश्यकता है और खासकर ऐसे वक्त में जब कि देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है। इसलिये देशवासियों और सरकार को बहुत चौकस रहना चाहिये।

महोदय, माननीय सदस्य अहलुवालिया जी ने काम के अधिकार को संविधान में सम्मिलित करने का जो प्रस्ताव रखा है, मैं इसका अनुमोदन करता हूं। सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि काम के अधिकार में वह मामला भी आ जाता है, जोकि मंडल कमीशन में था। इसलिये पहले जो बैकवर्ड हैं, अशिक्षित हैं, उनके लिये भी रोजगार की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये। चाहे कंपीटिशन में ऐसे लोग जितने भी कम मार्क्स लायें, इनको परमोट किया जाये। मगर इसके लिये कहीं जगह तो होनी चाहिये। इसके निराकरण के लिये यही है कि काम के अधिकार को आप संविधान में शामिल कर लें। लेकिन साथ ही हमें यह भी सोचना चाहिये कि कैसे उनको काम दिया जाये। अगर काम नहीं होगा, तो काम के अधिकार के बाद लड़के सड़कों पर आकर संविधान की प्रतियां फाड़ेंगे। इसलिये आप काम के अधिकार को संविधान में शामिल कर दीजिए लेकिन साथ ही ऐसी व्यवस्था करें, ताकि सब

लोगों को काम मिल सके। इसके लिये ग्रावश्यक जमीन तैयार करने की जरूरत है। इसके लिये ग्राप देश में ऐसी एका-नामी तैयार कीजिये, ताकि ग्रगले पांच सालों में चार या पांच करोड़ लोगों के लिये हम नौकरियों का बदाबस्त कर सकें। जब तक यह कदम ग्राप गारन्टी देकर नहीं उठाते हैं, ग्रपनी एका:ामी को इस तरफ नहीं ले जाते हैं, तब तक मैं समझता हूं कि काम के ग्रधिकार को संविधान में रखने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन, फिर भी, मैं संविधान में इस ग्रधिकार को शामिल कराने की हिमायत करता हूं ग्रौर काम के ग्रधिकार की हमायत करता हूं ग्रौर चाहता हूं कि केवल ग्राप इस ग्रधिकार को संविधान में ही सम्मिलित न करें, बल्कि ग्रगले कुछ सालों में करोड़ों लोगों को इम्लाइमेंट भी दें।

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (Assam): Sir, I am thankful to Shri Ahluwalia for the important amendment which he has brought forward in this House. We have seen that the number of unemployed youth in our country is increasing day by day and it is about 3 crores now. It is only official information. Unofficially, it will be even more. This poses a great threat to our country. Firstly, it creates a sort of unrest. We have seen in the North-Eastern States like Assam, Kashmir and even in Bihar that when the youth have no employment at all and when their pockets are empty, they tend to do anything. That tendency prevails. But there is no sincere approach, no pragmatic approach to contain this, and to deal with the problem. Secondly, I feel that the very tender fabric of the society is torn apart because of this serious problem. This poses a threat to the very basis of our life. The prevalence of indiscipline in our society is mainly due to the unemployment problem. We must admit it without any reservation. The young, able and dynamic youth are roaming hither and thither. If the energies of these boys and girls are channelised in a proper way, we could have created miracles. When they knock at the door of any office or concern, they get a simple answer 'No vacancy'. In Assam, there is no infrastructure at all for any sort of employment. It is not that there are no resources. There are natural resources. More employment avenues could have been created if these had been properly utilised. The same situation is prevailing in other States too. The Constitution of India guarantees to every citizen the right to a full life, with all the amenities. When the right to work is denied to the youth, how can they earn their living? How can they lead a full life when their pocket is empty, when they are grovelling in abject misery? Therefore, this Bill has come at the right time and this should be accepted by the House.

If the right to work is assured, through legislation, it may create some avenues of employment and solve, to some extent, the problem which is crippling the very economy of the country. Up till now, the Government has not done anything worthwhile in this regard with the result that after forty-four years of Independence, some Member has to think of bringing forward a Bill providing for the right to work for the young people of our country. We have had many Five-Year Plans. We have had many programmes. But instead of solving the problems, these have created different problems for the country. On the one side, we see that the rich is becoming richer while the poor people are grovelling in abject misery. On the other side, the country is groaning under the heavy debt burden, both internal and external. What is the use of all these plans and programmes if they cannot solve the unemployment and other problems '' the country?

Sir, I shall not take much time. Mr. Ahluwalia came to me and asked me not to make a long speech. There is another Bill relating to women. In the end, I would appeal to the Government that they should bestow serious thought to this problem. The Government should create a proper infrastructure in every State to give jobs to the young, eligible, people of the country. With these words,

[Shrimati Bijoya Chakravorty]

I support this Bill and I hope that this will be passed by the House.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on a very important issue. This is the important amendment brought forward in the House so far.

One-and-a-half decades ago, the same issue was raised in the other House by Comrade A. K. Gopalan. Subsequently also, twice or thrice, this issue was raised and replies were given by Ministers. They all assured the Members that this problem would be tackled, but this promise has not been kept. Now, hon. Member, Shri Ahluwalia, whether he was willing or not, has been forced to bring forward this Bill. I stand here to support this amendment.

Before Independence, for all our ills, we used to attribute them to the Britishers, forgetting our own part. We were fragmented by casteism and other divisions. The downtrodden people had to work from dawn to dusk. They had to work round the clock to get the basic necessities. These people were dubbed as untouchables. Actually, work was ridiculed in the sub-continent for centuries together. Now, whether this amendment is going to be accepted by the hon. Minister or not, at least, we will have the satisfaction of drawing the attention of the Government to the importance of this right to work. Now, when we liberated the country from the British Empire, Dr. Ambedkar emphasized that though we have achieved political freedom, we have yet to achieve economic freedom; unless and until we have liberated ourselves from economic slavery one day even our political freedom will be in jeopardy. That was the warning given by Ambedkar. Now we are witnessing that in the form of militant activities. Now we have to ponder ourselves over the way in which we have governed the country for the last four decades whether it is correct or not. Unless and untill we have some frank discussion we cannot come to any conclusion.

Pt. Jawaharlal Nehru, the architect of modern India, has actually laid the foundation for socialist pattern of society. Once the Father of Vietnam, Ho Chi Minh, wrote, praising Pt. Nehru. This is the translation of what he wrote:

> "I am struggling. You are active. You are in jail. I am in prison. Ten thousand miles apart, we have not met. Shared ideas link you and me. What we lack is personal encounter. I am jailed by a neighbouring friend; you are chained and fettered by the enemy."

This was written by Ho Chin Minh, praising Panditji. In this only one line we have to see: Shared ideas link you and me. That is important. Now, if anybody writes about the condition of India, the policy of the Government do you think it is a relevant line today? After having gone through industrial Policy, after having gone through the Economic Survey of India, after having gone through the speech of the hon. Finance Minister, Sir, I think that the right to work is very important in a sense. Now it is one of the Directive Principles. A noble one. The right to work should be justiciable. It should be justiciable, because even in 1948 the United Nations unanimously passed a Resolution on Human Rights, and Article 23(1) of that Resolution lays down:

> "Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in Article 6 fortifies the right to work in these affirmative terms:
>
> 1. The State, Parties to the present Covenant, recognize the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard his right.

2. The steps to be taken by a State, Party to the present Covenant, to achieve the full realization of this right shall include technical and vocational guidance and training programmes, policies and techniques to achieve steady, economic, social and cultural development and full and productive employment under conditions safeguarding fundamental political and economic freedoms to the individual.

That is the right to life and liberty. What it means is that the Right to Life and Liberty includes the right of access to means of livelihood. That is what we get from the judgement delivered by the Bombay High Court.

Then I want to quote further:

"Then International Labour Organisation of the UN also provides that:

"1. With a view to stimulating economic growth and development, raising levels of living, meeting manpower requirements and overcoming unemployment and underemployment, each Member shall declare and pursue, as a major goal, an active policy designed to promote full, productive and freely chosen employment.

"2. The said policy shall aim at ensuring that (a) there is work for all who are available for the seeking work;

(b) such work is as productive as possible; and

(c) that there is freedom of choice of employment and the fullest possible opportunity for each worker to qualify for, and to use his skills and endowments, in a job for which he is well-suited, irrespective of race, colour, sex, religion, political opinion, national extraction or social origin.

"3. The said policy shall take due account of the stage and level of economic development and the mutual relationships between employment and social objectives; and shall be pursued by methods that are appropriate to national conditions and practice."

This has been approved by the ILO as well as by the UN.

Now I come to the particular situation prevailing in India. I want that this Right should be justiciable because by the end of the century the population may reach 100 crores. In that case, within ten years the food production which is 170 million tonnes at present should be increased to 240 million tonnes. This is one aspect. We have to work hard. There is ample opportunity for it.

The second thing is that 28 million persons were unemployed at the beginning of 1990-91; 78 mililon persons would join the labour force by the turn of this century. We, therefore, have to create, it is important, 106 million jobs over the next ten years. In rural areas under-employment is very clearly evident.

There is another issue. This is a main issue of unemployment. This comes under the purview of Right to Work. The estimated growth in employment for the decade as a whole accounts to barely 2 per cent on the average, and the growth rate itself has been showing a declining trend from 2.82 per cent between 1972-73 and 1977-78 to 2.2 per cent during the period from 1977-78 to 1983 and to 1.55 per cent during the period 1983 to 1987-88. It means the aggregate employment increased by 2 per cent per annum as compared with the rise in the labour force by 2.5 per cent. But our GDP has increased by 5 per cent during the same period.

Sir, this is the situation in which we are. There are so many slums. They are increasing in urban areas. What is the reason for this? The child labour is in-

[Shri S. Viduthalai Virumbi]

creasing in India. What is the reason for that? If we go into the problem, we can find out the truth. If the slums are increasing, it means that migration is taking place from the rural areas to the urban areas. If migration is taking place from the rural areas, it means that agriculture actually is not remunerative. This is because the agricultural labourers are not able to get what they deserve. They are moving to the urban areas.

The second point is whether agriculture is remunerative. When we compare agriculture with manufacturing units, what I feel that agriculture is remunerative, practically it is remunerative, but for the agricultural labour it is not remunerative because if you go through the incremental capital-output ratio you can find out that agriculture is not so badly placed. The highest output has been achieved in the agricultural field. It has always given higher return on equal capital investment. The incremental capital output ratios in agriculture and manufacturing proved this during different stages of development. In the first stage 1950-51 to 1959-60 agriculture was 2.18 per cent while manufacturing was 4.47 per cent. In the second stage 1970-71 to 1979-80 agriculture was 4.22 per cent and manufacturing was 8.22 per cent. In the third stage 1980-81 to 1983-84 agriculture was 3.17 per cent and manufacturing was 14.36 per cent. We can find out from this agriculture is a remunerative one. In spite of that people wanted to migrate to urban areas. That is the issue which we have to consider. That is the issue which we have to ponder over. What I feel is that actually what we are getting from agriculture is not being properly distributed. If it had been distributed properly. people would not have come to urban areas. That is one thing.

Another thing is, our economic situation is bad and people are suffering. Over the five years ended 1989-90, the average annual rate of growth of Gross Domestic Product was 5.6 per cent while overall liquidity increased by 17.6 per cent. The disproportionate and persistend increase in liquidity has been a significant factor contributing to inflation. This has forced the agricultural labourers to migrate towards the urban areas. That is the second thing.

Now, what is the remedy? We have to find out remedial measures. We are going through so many changes but we have not yet achieved technological self-reliance. We must try to achieve it.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Come to the concluding point.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: I am concluding. When we try for technological self-reliance we should not concentrate on capital-oriented base but labour-intensive base. We must develop industries in the backward areas. We should give importance to the employment generation rather than on the size of the investment which we are contemplating now. That is the important issue. The important remedies devised by the Economic Advisory Council are given in a report presented to the Government. They have given nine objectives:

> "Emphasis on generation of employment in the economy as a whole and not just in a single sector. Expansion of production in agro-based industries that will provide increased production of mass consumption goods and also larger scope for increased employment opportunities. Conservation of resource use through improvement in the efficiency of the use of fertilizer and water in agriculture and energy in the whole economy. Formulation of a well conceived strategy for wider dispersal of small scale industries and improving the efficiency of small scale units through technology upgradation and modernisation. Laying down certain priorities in technology upgradation and modernisation in terms of capital goods, intermediate goods, infrastructure and consumer goods, improvement in the provision and spread of infrastructure and basic industries

along with improvement in quality of services and reduced costs, maintaining the tempo of growth in exports for which it is necessary to continue the present set of fiscal, trade and exchange rate policies, promotion of greater competitiveness of our exports in the light of changing world scene, restructuring of industrial investment in favour of efficiency export earning sectors like garments, leather manufactures and agro-based items."

Regarding export of goods, some changes have been made. To some extent it is a welcome step. We are also going in for foreign collaboration in many areas. But we have also started liberalisation of import policy. Liberalisation started about ten years back. And now we are suffering. If this type of liberalisation goes on, we may have to face a situation like the Latin American countries faced. That is why I would like to tell you that when we go in for collaborations with foreign countries, we must have their equity. We must have foreign equity to such an extent that the net foreign exchange we earn from the collaboration is more than what we shall have to give as the repatriable amount to them. We have to take into account all these things. If only we bear in mind all these things, the principle of right to work will succeed to some extent. For that, at least Rs. 40,000 crores per annum has to be invested in this country.

I hope the hon. Minister will agree with the proposal submitted by Mr. Ahluwalia. Or, he should assure this House that he himself will bring an amendment as this from the treasury benches. In that case, Ahluwaliaji may withdraw his amendment; otherwise, he should stick to it.

With these words, I conclude. Thank you.

श्री नरेश सी० पुगलिया (महाराष्ट्र): उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सम्मानीय सदस्य अहलुवालिया जी ने जो यह कंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट लाई है; काम के अधिकार को संविधान में समाविष्ट करने के लिये, उसका सभी पार्टियों ने और सभी पार्टी के सदस्यों ने स्वागत किया है, मैं भी स्वागत करता हूं। लेकिन, अगर हमने यह अमेंडमेंट पास भी कर लिया, तो क्या इस देश के दस से पन्द्रह करोड़ बेकार युवकों को हम काम दे सकेंगे? कांग्रेस की सरकार ही नहीं, किसी भी पार्टी की सरकार हो; संविधान में अमेंडमेंट करने के बाद हम उनको किस प्रकार से राहत देंगे? यह चिन्ता का विषय केवल कांग्रेस पार्टी के सामने नहीं है, बल्कि देश के सामने है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद इस देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। उस समय के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु जी ने देश को पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हर क्षेत्र में आगे ले जाने का संकल्प किया था। उसके बाद इन्दिरा जी ने और इस देश के युवा प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी ने भी पूरी कोशिश की कि देश को आगे ले जायें। लेकिन, इतनी तरक्की के बाद भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जो प्लानिंग हैं, हमारी जो पंचवर्षीय योजनायें हैं और खासकर के हिन्दुस्तान की जो प्लानिंग हैं, उसमें जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उनको हमने आज तक ठीक नहीं किया। हम पहले किसी प्रोब्लम को, किसी समस्या को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जब वह समस्या गले का फन्दा बन जाती है, फांसी का फन्दा बन जाती है, तब उस समस्या से निपटने के लिये कोशिश करते हैं। चाहे वह पंजाब की समस्या हो, चाहे असम की समस्या हो, चाहे काश्मीर की समस्या हो, चाहे नक्सलाइट की समस्या हो, कोई समस्या हो।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमें गर्व है कि इस देश ने आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तरक्की की। आज हमारे यहां शिक्षा का परिणाम काफी बढ़ा है और इसी कारण आज एम्पलायमेंट

[श्री नरेश सी० पुगलिया]
एक्सचेंज में तीन करोड़ से ज्यादा युवकों ने नौकरी के लिये अपने नाम लिखा रखे हैं। इसके अलावा जो एम्पलायमेंट एक्सचेंज तक नहीं पहुंचे, उनकी संख्या दो करोड़ से ज्यादा है। इस प्रकार पांच करोड़ एजुकेटिड यूथ इस देश में हैं और 10 से 12 करोड़ तक अनएजुकेटिड यूथ हैं। इनको मिलाकर आज यह पन्द्रह करोड़ बेकार युवकों की समस्या हमारे सामने है। अगर संविधान में संशोधन कर लें, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा, हमारे विरोधी पार्टी के सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि इस अमेंडमेंट को पास करने के बाद क्या हम इन बेकार युवकों को यह अधिकार दिला सकेंगे?

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस गंभीर समस्या से निपटने के लिये, जिस प्रकार से हमने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की है उसी प्रकार, इन सुशिक्षित युवकों को बताना होगा कि आप एम्पलायमेंट एक्सचेंज के माध्यम से केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के ऊपर अगर निर्भर रहेंगे कि आज नहीं तो कल हमें नौकरी मिल जायेगी और उस नौकरी के माध्यम से हम गुजारा कर पायेंगे, इस दिन-व-दिन बढ़ती प्रवृत्ति को रोकना है। आज प्रवृत्ति यह है कि हर आदमी आठ घंटे सरकारी दफतर में बैठकर, एअर-कंडीशंड आफिस में बैठकर, पंखे के नीचे बैठकर, शहर में रहकर ही अपना गुजारा करना चाहता है। इसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में पिछले चालीस साल में हमने तफावत कर दी है। विकास की दृष्टि से शहर तेजी से आगे जा रहे हैं, वहां आपको हर प्रकार की सुविधा मिलेगी, सिनेमाघर मिलेंगे, होटल मिलेंगे, रिक्रिएशन के लिये अलग-अलग साधन मिलेंगे और दूसरी तरफ जहां हमारी सत्तर परसेंट आबादी जिस ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, वहां और दूसरी तरफ जहां हमारी 70 परसेंट आबादी जिस ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, वहां न आपको रास्ता मिलेगा, न पीने के लिये आपको अच्छा पानी मिलेगा, न इलैक्ट्रिसिटी मिलेगी और अगर कोई उद्योग लगाना चाहें तो उसके लिये जो आपको इन्फ्रांस्ट्रक्चर चाहिये वह नहीं मिलेगा। इसीलिये ग्रामीण क्षेत्र का हमारा युवक शहर की ओर भाग रहा है। शहर की ओर भाग कर वह एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में अपना नाम लिखा कर वह नौकरी की तलाश में पिछले 5-5, 10-10 साल से अपनी जवानी के दिन एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से आये इंटरव्यू के कौल की तरफ अपना समय खराब करने में लगाता है। इस गंभीर समस्या से निवटने के लिये हमारी जो प्लानिंग डिफेक्टिव है वह आठवीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हमें इसमें प्रशिक्षित बेकार रहे या हमारा अशिक्षित बेकार रहे, इनको हम रोजगार कैसे देंगे?

हमने इंडस्ट्रियल पोलिसी चेंज की है। सभी ने उसका स्वागत किया है, कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया है। लेकिन अगर हैवी इंडस्ट्री आती है जिसमें मकैनिलिज्म के माध्यम से हम लोग उत्पादन निकालते हैं, अगर दो सौ करोड़ का एक सीमेंट प्लांट आता है, उपसभाध्यक्ष महोदय, उस दो सौ करोड़ के प्लांट में हम सिर्फ पांच सौ से सात सौ लोगों को रोजगार दे सकते हैं। अगर हम कुटीर क्षेत्र में जायें, काटेज इंडस्ट्रीज में जायें या दूसरी एग्रो इंडस्ट्री के क्षेत्र में जायें, स्माल स्केल इंडस्ट्री के क्षेत्र में जायें उस दो सौ करोड़ के इंवेस्टमेंट में आप तीस हजार लोगों को काम दे सकते हैं। तो इस प्रकार की हमारी जो डिफेक्टिव प्लानिंग है, इसको हमको बड़ी गंभीरता से लेना होगा अन्यथा आज देश के कुछ भागों में, कोई कहता है पंजाब में एक्सट्रिमिस्ट ऐसा कर रहे हैं, कश्मीर और आसाम में यह कर रहे हैं लेकिन उन युवकों ने हाथ में बंदूक क्यों उठायी, हाथ में बम क्यों उठाया है, इस चीज को हमने क्या गंभीरता से सोचा है? हमने यह समझ लिया कि हमारे नजदीक के जो देश हैं वह उनको उकसा रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, वह समय का फायदा ले रहे हैं, हमारे एडजोइनिंग जो कंट्रीज हैं उनको जरूर बहका रहे हैं लेकिन उसमें जो खास

करके नौकरी नहीं मिलने के कारण, बेकारी के कारण वह हमारा बीस साल, पच्चीस साल, तीस साल का जो युवक घर में बेकार पड़ा है उनकी बेकारी का, उनकी मजबूरी का फायदा लेकर पड़ौसी देश उनको जरूर मदद कर रहे हैं लेकिन इसके पीछे, इसकी जड़ में जाकर हमें सोचना पड़ेगा।

मैं महाराष्ट्र के जिस जिले से आता हूं वहां नक्सलाइट एक्टीविटीज है। उपसभाध्यक्ष महोदय, चन्द्रपुर, गडचिरौली, भंडारा, नबिड हैं यहां नक्सलाईट हैं। उसके साथ-साथ आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का हिस्सा है, उसमें नक्सलाइट एक्टीविटीज बढ़ रही है। किन नक्सलाइट एक्टीविटीज क्योंकि डवलपमेंट के अन्दर हमने बेलेंस्ड डवलपमेंट नहीं किया। जो पोलिटिकली मजबूत हैं जो इकोनोमिकली मजबूत हैं, उन्होंने अपने-अपने एरिया में जाकर अपना विकास कर लिया, जो बेचारे पोलिटिकली कमजोर हैं, जो शिक्षा में कम हैं जो हमारे आदिवासी भाई हैं जो हमारे गिरिजन भाई हैं उनके ट्राईबल एरिया में हमने ध्यान नहीं दिया। इसलिए झारखंड की समस्या बोडो लैंड की समस्या, नक्सलाइट पूरे ट्राइबिल एरिया में क्यों हैं, इस पर हमने गंभीरता से कभी विचार नहीं किया हैं। इस सबजेक्ट को हमको गंभीरता से लेना पड़ेगा और खास करके आज हमारे राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन रहे या देश का एडमिनिस्ट्रेशन रहे हम स्टेट सेक्टर में, सेंट्रल सेक्टर में जो विनयरली बजट तैयार करते हैं उस बजट में हमारा 85 परसेंट एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा होता है और हमारा 15 परसेंट डवलपमेंट पर जाता है। जिस देश में, जिस राज्य में हम कुल आमदनी का 85 परसेंट अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा करेंगे, पगार पर खर्च करेंगे, नौकरी पर खर्च करेंगे और 15 परसेंट सिर्फ डवलपमेंट पर रखेंगे इस 15 परसेंट के डवलपमेंट के फंड के ऊपर आप इस देश की 85 करोड़ जनता की ओर खास करके हमारे इन 10 से 15 करोड़ प्रशिक्षित बेरोजगारों को क्या आप काम दे सकते हैं, उनको हर रास्ता आप दूर कर सकते हो? आपके माध्यम से कामगार मंत्री से मेरी विनती है, हालांकि आज यहां हमारे डिप्टी मिनिस्टर लेबर उपस्थित हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि हिन्दुस्तान में या राज्य में सब में अगर कोई वर्स्ट मिनिस्ट्री कोई होगी तो हमारी कामगार मिनिस्ट्री है। अगर हमारे किसी साथी को लेबर मिनिस्ट्री मिल गयी तो वह सिर पर हाथ रखकर रोता है कि हमें कहां फंसा दिया। लेकिन यह सबमें महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री है। इस लेबर मिनिस्ट्री के माध्यम से आप ग्रामीण क्षेत्र के कामगारों को, हमारे औद्योगिक कामगारों को, हमारे प्रशिक्षित बेरोजगारों को उनके माध्यम से योजना बनाकर के हम उनको रास्ता कैसे दें, इतनी महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री है। किन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर न हम सीरियस हैं, न इस पहले की सरकार सीरियस थी। सिर्फ वोट मांगने के लिये, बेरोजगार युवकों को अपनी तरफ खींचने के लिये, चुनाव में नारा देकर उनको अपनी तरफ खींचने का काम पिछली सरकार ने भी किया था और इस प्रकार से उनके वोट लेकर हम सत्ता में आ जाते हैं

4.00 P. M. लेकिन बाद में कुछ नहीं करते।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से और विरोधी नेताओं से विनती है कि इस गंभीर समस्या के ऊपर साथ बैठकर कोई ऐसी योजना बनायें, 5 साल, 10 साल या 15 साल की कोई ऐसी योजना बनायें ताकि इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगार नवयुवक हैं उनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के माध्यम से एंगेज करके इस समस्या का परमानेंट समाधान निकाला जा सके।

महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि इस राष्ट्रीय समस्या को मद्देनजर रखते हुये हमारी सरकार इसे गंभीरता से लेगी। अहलुवालिया जी यह जो बिल लाये हैं इसका मैं तहेदिल से स्वागत करते हुये समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SING GHATOWAR): Hon. Vice-Chairman, Sir, I am grateful to Shri S. S. Ahluwaliaji for having drawn the attention of this House to this important issue of unemployment through this Constitutional Amendment Bill. I am also grateful to all the hon. Members who have taken part in this discussion on the Bill and have made extremely useful observations and suggestions.

Sir, in this Bill Shri Ahluwaliaji has proposed that every citizen shall have the right to work so as to provide him employment and remuneration thereof. In other words, the suggestion is to make right to work a fundamental right. As the Members are aware, at present the Constitution of India provides for right to work under the Directive Principles of State Policy which are not enforceable, Sir, the right to work to everyone can only be promised through a total reorientation of our economic policies, taking up labour-intensive projects in hand and adopting decentralised planning to enable the economy to generate sufficient employment opportunities. Fulfilling the proposal of right to work, therefore, calls for extensive preparatory work on a number of fronts like micro-level planning including management of natural and human resources, self-employment development and other economic policy decisions. The Planning Commission is seized of this matter in the context of generating more employment opportunities for all concerned. The Eighth Plan is also proposed to be finalised soon.

During the course of the discussion the hon. Members have made a number of points and suggestions on employment generation. During this limited time it would not be possible for me to go into the individual points and suggestions. In this connection I would, however, like to draw the attention of the House to the President's Address to the Joint Session of Parliament on 11th July, 1991 which provides in brief, the Government's policy on most of the points raised here. For instance, the President's Address has stated in clear terms that rapid expansion of opportunities for productive employment would be a major objective of our planning and economic policies.

Some of the thrust areas highlighted in the Address are internationalisation of industry and trade, development of small-scale sector and cottage and village industries, boosting electronic industry through setting up technology parks etc., tackling sickness in textile industry, sorting out problems faced by food-processing industries, stepping up of power generation, upgradation of tele-communication and postal services and taking them into the rural areas, accelerating the pace of progress in science and technology, agricultural research and use of modern technology by our farmers, animal husbandry, integrated development of women and children, reducing the pressure on land by providing alternative avenues of employment in small, medium and large scale agro-based and food-processing industries, special crash programmes for providing drinking water in rural areas. All these areas are expected to have strong employment linkage. There is also a mention that Integrated Rural Development Programmes would continue to be a major instrument for creating self-employment opportunities. Similarly, Jawahar Rozgar Yojana would continue to generate more employment in rural areas. The President's address also recognised the need for improving the quality of education so as to bridge the gap that now exist between the world of work and the world of learning. The Government's endeavour to protect and promote the interests of the working class and to foster healthy industrial relations by carrying out reform in the machineries for settlement of labour disputes have also been highlighted. I would like to congratulate Shri Ahluwalia that by moving this Bill he has drawn the attention of the House to the seriousness of the unemployment problem which the youths of our country are currently facing. As I just mentioned, Government is equally concerned about this and a major objective of our planning and economic policy would be rapid expansion of productive employment. The pro-

posal of right to work would, however, call for extensive preparatory work on a number of fronts and the Government is of the view that such a privilege would be asserted only when there are conditions in which a right can become a reality, at least, in the sense that productive and freely chosen work should be available to all those who demand work as otherwise the right to work remain as an empty promise.

Mr. Vice-Chairman, Sir, all Members of this House also know that the previous Govenrment had also promised in their election manifesto about the right to work. As everybody knows they also failed to fulfil their election promise, sir, I want to submit before the House that with our present economic constraints without serious plan and programme this right to work cannot be achieved. The Planning Commission is seized of the issue in this context of generating more employment opportunities for all concerned. The Eighth Plan is also proposed to be finalised early. In the light of these facts, I would request Shri Ahluwalia to withdraw the Bill. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Shri Ahluwalia to reply to the debate

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह मेरा पहला प्राइवेट मेंबर बिल है जो डिस्कशन के लिए आया और मैंने इससे पाया कि लोगों ने अपने पार्टी बंधनों को तोडकर देश की इस ज्वलंत समस्या पर, बेकारी की समस्या पर इस बिल का पूरा समर्थन किया और हर आदमी ने, हर सदस्य ने इस बिल का समर्थन करते हुए जहां मेरा साहस बढ़ाया है, वहीं सरकार को सचेत किया है कि बेकारी की समस्या कोई मामूली समस्या नहीं है।

महोदय, माननीय सदस्य सुरेन्द्र सिंह ठाकुर जी बहुत ठीक कह रहे थे कि जिस वक्त हमें इस मुल्क में यह सोचने की जरूरत थी कि हम उन्नति के इस चरण पर पहुंच चुके हैं, इससे ऊपर कैसे पहुंचा जाए उसका रास्ता अपनाएं, उस वक्त हम आज भी सोच रहे हैं कि हम इस मुल्क के बेकार हाथों को, खाली हाथों को किस प्रकार से काम दे सकें। 40 साल से ज्यादा हो गये देश को आजाद हुए। इन खाली हाथों को हम ज्यादा देर तक खाली हाथ न रखें। जिस तरह से एक कहावत है कि कुछ देर तक तो भिखारी भी मांगता है। भिखारी भी खड़ा होकर हाथ पसारता है। जब उसे नहीं मिलता तो वह भी फटकार कर चला जाता है कि ऐ देने वाले दानी तेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि दान दे सके। जा तेरे पास कुछ न रहे। वह भी फटकार कर चला जाता है। इन खाली हाथों को ज्यादा दिन तक खाली रखना हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। ये 12 करोड़ लोग और 24 करोड़ खाली हाथ जब पड़े रहते हैं तो जैसे पुराने दिनों की कहावत है:

"An idle brain is the devil's workshop."

ये विदेशी ताकतें उन खाली हाथों को ज्यादा दिन तक खाली नहीं रहने देती। उनके हाथों में सौंप देती है चरस, उनके हाथों में सौंप देती है एल० एस० डी० की टैबलेट्स, उनके हाथों में सौंप देती है ऐके-47 की बन्दूकें और वह विद्रोह की आवाज उठाता है और वह विद्रोह किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं किसी सरकार के खिलाफ नहीं किसी कुर्सी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने पेट की लड़ाई के कारण सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ वह आवाज उठाने लगता है। और उसको विभ्रांत करने में इन विदेशी ताकतों को बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है बड़े आराम से बड़े सहज तरीके से वह उन्हें विभ्रांत कर देते हैं।

जब हम एक युवा को, युवति को काम का अधिकार नहीं दे सकते तो क्या हम उन्हें धर्म के अधिकार से भी वंचित रखें? हमारे देश का हर धर्म एक बात कहता है कि सत्यकर्म करने से धर्म बनता है। हमारा बुद्धिज्म कहता है।

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

"Work determines one's place in the world. At all times one should work diligently and with earnestness. Hard work is praised."

वहीं क्रिश्चनिटी कहती है। यह कर्म की बात है। धर्म और कर्म तभी होता है जब पेट में रोटी हो। धर्म और कर्म उस वक्त नहीं होता जिस वक्त दिमाग खराब हो बेरोजगारी से पेट में दाना न हो। क्रिश्चनिटी कहती है :

"God works and so man should work. A Christian will be diligent in good works all the time for a man is to be judged by his works as man works for God. It is God who works in and through Him."

इंसान को इंसान के रूप में देखने के लिए उन्हें रोजी देनी होगी, रोटी देनी होगी, काम का अधिकार देना होगा तभी वह समाज सुव्यवस्थित कर सकेगा। वहीं हिन्दुइज्म कहता है :

"A day once gone will never return. Therefore, one should be diligent each moment to do good. We reach the goal of good life by pious works."

अगर हम ध्यान से सोचें कि क्या यही धर्म गाथायें सिखाती हैं? ये प्रवचन किस के लिए हैं? ये उनके लिए हैं जिसके पेट में रोटी हो। हमारी पंजाबी में कहावत है : टिड न पइयां रोटियां सब्बे गल्लां खोटियां। जिसके पेट में रोटी न हो उसके लिए सारी की सारी चीजें खोटी हैं। उसके लिए समाज व्यवस्था बेकार है। जिसके दिमाग में जनून है बेकारी का, जिसके घर में दुख हो पीड़ा हो जिसकी मां बीमार हो और उसके इलाज के लिए पैसे न हों और उसके पास नौकरी नहीं हो, बेरोजगार हो वह अगर गलत रास्ते पर नहीं चलेगा तो कौन चलेगा। इसके लिए कौन मजबूर कर रहा है? जैन धर्म कहता है : एक एक दिन कीमती है और अब तक चालीस साल गुजर चुके हैं। हम क्या दे सकेंगे? हमारा सिख धर्म कहता है—

"God has determined from the beginning the works man must do. No man can escape this determination. Men become saints or sinners by their works only, not by their profession. Good works bring men to clear knowledge of the Divine."

हम सिर्फ उनको काम के अधिकार से वंचित नहीं कर रहे हैं, हम उनको एक साधारण और अच्छा नागरिक बनने के अधिकार से भी वंचित रखते हैं। इसके लिए हम कसूरवार हैं और इसी कारण से आने वाली पीढ़ी मजबूर होकर हाथ में ए० के० 47 लेकर घूमती है। इसके लिए हम सब कसूरवार हैं। आज हमारी जो सामाजिक व्यवस्था चल रही है उसमें हमने आने वाले वंशों के बारे में नहीं सोचा है। आखिर बेकार हाथ क्या करेंगे। आप इन बेकार हाथों को काम दीजिए। इसी काम के अधिकार पर जब चर्चा चल रही थी तो श्रीमती सरला माहेश्वरी जी ने बड़े जोरों से इसका समर्थन किया और समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि स्वदेशी तकनीक के माध्यम से हमें सेल्फ इम्प्लायमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए और जो पूंजीपति दिन प्रति दिन यहां का आर्थिक शोषण कर रहे हैं उसको खत्म करके पैसे को उधर लगाया जाय जहां गांवों में, रूरल एरियाज में लोगों को हम रोजगार दे सकें। उनका मैं बड़ा आभारी हूं जो उन्होंने इसका समर्थन किया। इसके बाद डा० रत्नाकर पाण्डेय जी ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की जो एक लिस्ट बनाए कि आखिर कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बेकारी भत्ता दिया जाय और जोब ओरिएन्टड एजूकेशन सिस्टम चालू किया जाय। मैं बेकारी भत्ता देने के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि बेकारी भत्ता और भीख में कोई फर्क नहीं है। किसी नवजवान को बेकारी भत्ता देना भीख मांगने जैसा है। यह गलत रास्ता है और उस रास्ते पर हमें नहीं जाना चाहिए। हम कहते हैं कि एक आदमी को मेहनत करने का आप अधिकार दें और उसको उस मेहनत की कीमत दें। श्रीमती कमला सिन्हा ने कृषि-जनित उद्योग शुरू करने की बात कही। रूरल इम्प्लायमेंट इंक्रीज करने की बात सभी

मेम्बरों ने कही है। अर्बन के बारे में सब लोगों ने सोचा है लेकिन रूरल इम्प्लायमेंट की तरफ कम लोगों का ध्यान गया है। श्री वी० एम० जाधव जी ने कृषि उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात कही जिससे रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में माईग्रेशन न हो। श्री ए० ए० मलारिया जी ने जोब ओरिएन्टड एजुकेशन सिस्टम चालू करने की बात कही। जोब ओरिएन्टड एजूकेशन सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मुद्दे के माध्यम से हम अपनी मैन पावर की ट्रेनिंग कर सकते हैं। हमारे पास इतनी पोपुलेशन है। कई लोग कहते हैं कि पोपुलेशन एक भार है। मैं कहता हूं कि पोपुलेशन भार नहीं है। पोपुलेशन का मतलब है आपके पास इतने हाथ हैं आप उनको आर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप जोब ओरिएन्टड एजूकेशन सिस्टम कर दें तो आज जो आप चावल, दालें और चीनी और अन्य चीजें एक्सपोर्ट करते हैं उसी तरह से आप यहां से मानव शक्ति का एक्सपोर्ट कर सकते हैं और देश-विदेश में अपनी तकनीक भेज सकते हैं। जोब ओरिएन्टड एजूकेशन सिस्टम की आज बहुत सख्त जरूरत है।

श्री शारदा महन्ती जी ने कौटेज इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा महत्व देने की बात कही। उन्होंने कहा कि कौटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने से और चीजें भी मजबूत होंगी और रूरल इम्प्लायमेंट बढ़ेगा और लोगों का शहरों की तरफ जाने का माईग्रेशन रुकेगा। श्री एन० डी० दवे साहब ने फार्मर और एग्रीकल्चर पर ज्यादा इम्फेसिस देने की बात कही। श्री ईश दत्त यादव जी ने जिन्होंने अपना भाषण खत्म नहीं किया था उन्होंने लघु उद्योगों के माध्यम से इस समस्या को हल करने की बात कही। श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी जो खुद मंत्री रह चुके हैं और बड़े अच्छे पार्लियामेंटेरियन भी हैं, जो प्राइवेट मेम्बर बिल के माध्यम से बहुत बातें उठाते रहते हैं, उन्होंने भी सबसे ज्यादा जोर जोब ओरिएन्टड एजूकेशन सिस्टम को दिया है। उन्होंने कहा है कि जोब ओरिएन्टड एजूकेशन सिस्टम के माध्यम से यह होना चाहिए, इस माध्यम से बेरोजगारी खत्म की जा सकती है और मैन पावर की ट्रेनिंग की जा सकती है। प्रो० सी० पी० ठाकुर ने कहा कि एक टाइम बोन्ड प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें हम लोगों को नौकरी दे सकें। हमारे कांग्रेस के मैनुफेस्टो में लिखा है कि हम इतने टाइम में इतनी जोब पोर्चुनिटीज क्रीएट करेंगे। जो हमारे स्वर्गीय नेता राजीव जी ने एक वचन दिया था देश को जनता को हम उसे पूरा करेंगे और उसी रास्ते पर हम अग्रसर हैं। श्री नारायणस्वामी ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में जो इम्प्लाईमेंट रेगुलेशन है उसको चेंज करने की जरूरत है। उसको चेंज करके किस तरह से ज्यादा ज्यादा अपोर्च्युनिटी वहां बढ़ाई जा सकती हैं, इसको देखने की जरूरत है, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे खलीलुर रहमान साहब ने भी कहा है कि यह जो पापुलेशन बढ़ रही है इसके कारण बेकारी बढ़ रही है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि पापुलेशन जो बढ़ रही है वह तो अलग चीज है। लेकिन इस मैन पावर को ट्रेनिंग करने की जरूरत है। यह हमारे देश की शक्ति है और इसको चैनेलाइज करने की जरूरत है। उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। डा० अबरार अहमद ने भी कहा है कि आज चोर, उचक्के, गुंडे, डकू, बदमाश, खूनी, सब की जितनी भी एविल्स हैं, वे सारे अन-इम्प्लायमेंट के कारण हैं। यह बात सही है। संतोष बागड़ोदिया जी ने जब ओरियेन्टेड सिस्टम पर जोर दिया है। एम० पी० गौतम जी ने रूरल कॉटेज और स्टेज इंडस्ट्री पर जोर देने की बात कही। सुरेश पचौरी जी ने भूमि सुधारों के माध्यम से गांवों में औद्योगीकरण की जरूरत समझी है और कहा कि वहां लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है। वाकई यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे देश की तीन चौथाई पापुलेशन गांवों में रहती है। अगर इन गांवों को हम मजबूत करना चाहते हैं तो हमें उनकी पर्चेजिंग पावर को बढ़ाना होगा। जिस तरह से शहरों में जो कारखाने लगे हुए हैं अब उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तभी वहां के लोगों की पर्चेजिंग पावर बढ़ सकता है। जब हम उनके कुटीर उद्योगों या उनके कृषि

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

उद्योगों की मदद करेंगे तभी वह फलेंगे फूलेंगे और तभी शहर भी फलेंगे फूलेंगे अन्यथा गरीबी दोनों जगह आने वाली है। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। राम अवधेश सिंह जी ने वैसे तो मजाक किया, वे इस समय उपस्थित नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वे इस बिल का विरोध नहीं कर सके। उन्होंने इतना जरूर कहा कि साधन कम होने के कारण हो सकता है कि हम लोग इस को पास कर दें पर हम इसको इम्प्लोमेंट नहीं कर पायेंगे। सुरेन्द्र सिंह ठाकुर जी ने देश के विकास के लिए सारी बातें कहीं और उन्होंने बिल को सपोर्ट किया। मोहम्मद सलीम जी ने सपोर्ट जरूर किया पर उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि हम इतने दिनों तक क्यों मूकदर्शक बने बैठे थे मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप बंगाल को ले लीजिए कि वहां पर कितना अनइम्पलाईमेंट बढ़ा है। भारत में जितने भी इम्पलायमेंट एक्सचेंज हैं उनमें करीब साढ़े तेरह करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं। इनमें से सिर्फ बंगाल में 50 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं। तो साढ़े तीन करोड़ में से 50 लाख बंगाल में हैं। हैं ना। तो वहां कैसा डेवलपमेंट है? तो इन तमाम चीजों पर इस संदर्भ में चारों तरफ से विचार करने की जरूरत है। गांवों के उद्योगों को हम बढ़ावा देते हैं पर उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि भारतवर्ष में सबसे अधिक कल-कारखाने बंगाल में बंद हैं। वहां पर बड़े बड़े कारखाने बंद हैं और आज वहां कोई नया इनवेस्टमेंट करने के लिये तैयार नहीं है। वहां पर, चाहे कोई रूरल कारखाना हो या अरबन कारखाना हो, कोई लगाने के लिये तैयार नहीं है। लेकिन उन्होंने इतना कहने के बावजूद भी इस बिल का समर्थन किया है। ओबैदुल्ला खान आजमी जी ने अच्छी बात कही कि आखिर यह बेरोजगारी कहां तक बढ़ेगी और इस बेरोजगारी को खत्म करने की जरूरत है। अगर हमें समाज में असामाजिक तत्वों को खत्म करना है कि इसके लिये हमें बेरोजगारी को खत्म करना होगा। शांति त्यागी जी ने भी इसका भरपूरी समर्थन किया। श्रीमती विजया चक्रवर्ती ने प्रश्न उठाते हुए कहा कि क्या फायदा बजट और फाइव इयर प्लान का जो बेरोजगारी ही खत्म नहीं कर सके हैं। बात सही है और ये सारी चीजें हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है। विरुम्मी साहब, जो कि डी०एम०के० के हैं उन्होंने बिल का समर्थन करते हुए होची-मीन्ह के जमाने की बात कही और डा० अंबेडकर के टाइम में कांस्टिट्यूएंट असेंबली में या क्या डिसकश हुआ..... वह सारी बातें कहीं, मैं उनका धन्यवादी हूं। नरेश पुगलिया जी ने बिल का समर्थन तो किया किन उन्होंने यह कहा कि इतना कुछ हम लायेंगे कहां से। करीब 25 माननीय सदस्यों ने इस बिल की डिबेट में हिस्सा लिया और एक भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं है जिसने इसका समर्थन नहीं किया हो। यह एक ज्वलंत समस्या है हमारे देश की और इस ज्वलंत समस्या को सुन कर मंत्री जी ने कहा कि हम इस बिल को या कानून को, पालिसी को इम्पलोमेंट नहीं कर सकते हैं। बड़ा अफसोस हुआ। अफसोस इस बात का है कि यह ज्वलंत समस्या मेरी व्यक्तिगत नहीं है या इस ज्वलंत समस्या का सालूशन इनका व्यक्तिगत नहीं है। इस देश के वर्तमान, इस देश के भविष्य का सवाल है। इस देश का वर्तमान अंधकार में जाता है अगर इस ज्वलंत समस्या का समाधान न हुआ तो, इस देश का भविष्य गर्त में जाता है अगर इस समस्या का समाधान न हुआ तो, कितने दिन तक आप देखते रहेंगे इन खाली हाथों में ए०के०-47 बन्दूकें? इनको अगर आप रोकना चाहते हैं तो इनके हाथों में आप रेंच दीजिए, हथोड़ा दीजिए, कलम दीजिए, फाइल पकड़ाइये, इनको नौकरियां दीजिए, काम दीजिये, खेतों में काम करने के लिए फावड़ा दीजिए, कुदाल दीजिये और टोकरियां दीजिये। इस ज्वलंत समस्या के लिए यह कहना उचित नहीं है कि हमारे पास आर्थिक अवस्था खराब है इसलिए हम समाधान नहीं कर सकते हैं। हो सकता है मेरा तरीका गलत हो सकता है, मैंने जो रास्ता ढूंढा है वह गलत है, पर आप समस्या से कैसे भाग सकते हैं? आप समस्या से दूर नहीं जा सकते हैं। समस्या का समाधान सरकार को करना पड़ेगा। सरकार उस माता-पिता के समान है जिस तरह से माता-पिता अपने परिवार को पालते हैं, पोसते हैं, सरकार गार्जियन है सारे देश को पालती

पोसती है। सरकार अगर कहे कि हम यह नहीं कर सकते हैं तो इससे बड़ी शर्म की और कोई बात नहीं है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरी भी मजबूरियां हैं। चूंकि यह कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। जिस तरह से 25 लोगों ने सब तरफ सारी पार्टियों के बन्धन को तोड़ कर मुझे समर्थन किया उसी तरह से टू-थर्ड मेजोरिटी भी मेरे साथ रहती तो इस बिल को मैं जरूर प्रेस करता और प्रेस कर के मैं मौजूदा सरकार को मजबूर करता कि इस बिल को इम्पलीमेंट किया जाए। क्योंकि यह समस्या हमारे देश की समस्या है, हमारे देश के 12 करोड़ बेकार लोगों की समस्या है। पर यह मेरा दुर्भाग्य है, हमारी सब से बड़ी कमी है कि हम इस बिल को पास नहीं कर सकते और मैं समझता हूं अगर मंत्री महोदय इतना एश्योरेंस दे दें कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने जो मेनिफेस्टो में लिखा है, उनका जो पोलिटिकल कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी के मेनिफेस्टो में है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। इतनी ही कृपा करने की कृपा करें तो मैं आगे बात करूं।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SING GHATOWAR): Sir, I can submit before the House that our Government will definitely and positively try to implement the manifesto, the dream of late Shri Rajiv Gandhi. Sir, on the point mentioned by Shri Ahluwalia and other hon. Members in this debate, I can say that our Government will definitely and very seriously examine this point. Another thing which Shri Ahluwalia has mentioned is about the welfare of the people. I can definitely submit before the House that our Government is very clear on the matter of welfare of the people who have given us the responsibility to run this Government. And I can stay that definitely our Government will try to implement the Congress manifesto as dreams by Rajivji.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष जी, मुझे यह विश्वास था कि सरकार कम से कम राजीव गांधी ने जो एक पोलिटिकल कमिटमेंट इस देश की 85 करोड़ जनता के सामने रखी है कि हम इतने समय के अंदर इस मुल्क में दस करोड़ लोगों को नौकरियां देने की व्यवस्था करेंगे; यह सरकार वह करने की पूरी कोशिश करेगी। पर जब तक आप दस करोड़ की संख्या को नौकरी देंगे, तब तक हमारे देश की जनसंख्या भी आगे बढ़ जाएगी और बेकारी की समस्या भी और आगे बढ़ेगी। उस चीज को भी मद्देनजर रख लें और आगे से जो प्रोग्राम बनाने हैं, जो विचार करना है, किस तरह से मैन-पावर प्लानिंग करनी है, आप सोचें।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं फिर अपनी तरफ से उन सारे सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया और मेरी भी काफी ज्ञानवृद्धि हुई। कई सदस्यों ने जो चीजें उठाई, वह मुझे जानने में आई। यह बिल तो एक आई-ओपनर है, यह तो एक चेतावनी है सरकार के लिए और यह चेतावनी उन नौजवानों के माध्यम से, उन नौजवानों की बात हम नौजवान इस पार्लियामेंट में उठा रहे है। उन नौजवानों की बात, जो यहां अंदर नहीं आ सकते, पर बेकार हैं।

वह हमें रोज मिलते हैं और अपनी गाथा सुनाते हैं। उनकी बात आप तक पहुंचनी थी, हमने पहुंचाई और उस आवाज को पहुंचाने में जिन साथियों ने अपने वक्तव्य रखे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

मैं फिर सरकार से गुजारिश करता हूं कि अगर वाकई इस मुल्क से क्षेत्रीयतावाद को खत्म करना हो, इस मुल्क से सांप्रदायिकतावाद को खत्म करना हो, इस मुल्क से अगर जातीयतावाद को खत्म करना हो, इस मुल्क से अगर आतंकवाद को खत्म करना हो, तो उसका एक ही रास्ता है कि हर खाली हाथ को एक काम दो और फिर देखो कि वह खाली हाथ जिस वक्त काम में मशगूल होता है, वह किस तरह से इस क्षेत्रीयतावाद, जातीयतावाद/सांप्रदायिकतावाद और आतंकवाद से दूर भागता है। सिर्फ दूर ही नहीं भागता, वह अपने कर्मक्षेत्र के माध्यम से इन ताकतों को जो हमारे मुल्क का बटवारा करने के लिए तैयार बैठी हैं, उनको बार्डर के पार भेजता है वह भी आपको देखने में आएगा।

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इन चीजों को सामने रखते हुए विश्वास करता हूं कि सरकार जरूर इस पर ध्यान देगी और देश की बेकारी की समस्या को खत्म करेगी। मैं अपना यह विधेयक वापिस लेता हूं।

The Bill was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Now Shri Suresh Pachouri to move his Bill.

THE FINANCIAL RELIEF TO OLD PERSONS AND WIDOWS BILL, 1990

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh): Sir, I move:

> "That the Bill to provide for the financial relief to old persons and the needy widows and for matters connected therewith, be taken into consideration."

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं वृद्ध व्यक्तियों और विधवाओं को वित्तीय राहत प्रदान करने संबंधी जो विधेयक विचार और पारण के लिये मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसके संबंध में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, जिस तरीके से जल बगैर नदी का कोई महत्व नहीं होता है उसी प्रकार हमारे भारतीय समाज की जो व्यवस्था है उसमें बगैर बुजर्ग के परिवार की कोई महत्ता नहीं होती है। हमारे देश में जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें प्रायः संयुक्त परिवार की व्यवस्था है। अनन्त शायनम आयंगर ने यह कहा है कि "संयुक्त परिवार हमारे समाज का वह अभूतपूर्व किला है जिसमें श्रम योग्य व्यक्तों से तो काम लिया जाता है और असमर्थ वृद्धों तथा अपरिपक्व बालकों की रक्षा हो सकती है।" इसी प्रकार मान्यवर, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी ने भी कहा है कि "भारत में संयुक्त परिवार प्रथा के चलते वृद्धों के लिये कभी कोई समस्या नहीं रही। व्यक्ति ज्यों-ज्यों वृद्ध होता था उसका सम्मान व देखभाल बढ़ती रहती थी। परन्तु आधुनिक सभ्यता के प्रचार के साथ ही वृद्धजनों की समस्यायें भी बढ़ी हैं। अब वृद्धों की समस्या एक ऐसी समस्या के रूप में सामने आ रही है जिस पर ध्यान देना जरूरी है।" महोदय, हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था है वह शनैः-शनैः जो रूप ले रही है, जिसमें परिस्थितियों के आधार पर समय-समय जो पर परिवर्तन हो रहे हैं उसके अनुसार जो संयुक्त परिवार की व्यवस्था है उसमें भी परिवर्तन हो रहे हैं। एकाकी परिवार की व्यवस्था हमारे यहां बहुत ज्यादा स्थान ले रही है और उस एकाकी परिवार में भी आधुनिकीकरण हो रहा है, माडर्नाइजेशन हो रहा है। उस आधुनिकीकरण की वजह से जो हमारी सामाजिक व्यवस्था में जो बुजुर्गों को सम्मान मिलना चाहिये था, जो बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिये थी जो बुजुर्गों को हम से अपेक्षायें थीं वहां सारी की सारी उनको नहीं मिल पा रही हैं। यही वजह है कि जो बुजुर्गों को पर्याप्त और वांछित सुरक्षा और सुविधायें मिलनी चाहिये थीं, हमारे यहां, कुछ इस ढंग की व्यवस्था है कि वह सब नहीं मिल पा रही हैं। हमारे यहां जो जीवन-चक्र चलता है उसमें बाल्यावस्था होती है, उसमें यौवनावस्था होती है और एक ऐसी स्वाभाविक अवस्था आती है जो अंतिम चरणों की अवस्था रहती है, वह एक वृद्धावस्था होती है। जैसा मैंने अपनी बात शुरू करते हुये कहा था कि जिस घर में बुजुर्ग नहीं हों, जिस परिवार में बुजुर्ग नहीं हों, उस परिवार की महत्ता नहीं मानी जाती है। उसी प्रकार से वृद्धावस्था जिस परिवार में लिये हुये श्रद्धालु लोग न रहें वह परिवार भी अधूरा माना जाता है।

मान्यवर, हमारा जो भारत देश है उसमें वृद्धों की संख्या 1961 में 243 लाख थी 1971 में बढ़कर 327 लाख, 1981 में 425 लाख और 1991 में में यह लगभग 548 लाख तक पहुंच गई। ऐसा अनुमान है कि 2001 तक यह संख्या लगभग 760 लाख तक पहुंच